राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 21/09/2022 को संपन्न 425वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री विक्रम सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार घोषाल, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलविदुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति/टीओआर /अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स भीतररास स्टोन्स माइन (प्रो.- श्री दीपक गुप्ता), ग्राम-भीतररास, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1994)**

   ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर- एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 268664/2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–सीतलदरा, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 630, कुल क्षेत्रफल– 4.96 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता – 51,906 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/08/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 21/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स ताराशिव ब्रिक्स अर्थ क्ले माईन (प्रो.– श्री मोहन पांडे), ग्राम–ताराशिव, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1783)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 228998/2021, दिनांक 30/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/09/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/01/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं स्थित चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–ताराशिव, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 1411,

1419, 1424, 1429 एवं 1430, कुल क्षेत्रफल–1.04 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,579 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 09/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/05/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन पांडे, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 1411, 1419, 1424, 1429 एवं 1430, कुल क्षेत्रफल–1.04 हेक्टेयर, क्षमता–1,747.16 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be

considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. खनि निरीक्षक, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 06/09/2022 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
दिनांक 01/12/2020 से 31/03/2021 तक	230	1,15,000
2021–22	200	1,00,000
दिनांक 01/04/2022 से 31/08/2022 तक	100	50,000

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 31/07/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खि.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2366/2/खनि/मिट्टी/क.प./2021 बिलासपुर, दिनांक 04/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/3619/खलि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 24/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/05/खलि/तीन–1/2021 बलौदाबाजार, दिनांक 01/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री मोहन पाढ़े के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षो अर्थात् दिनांक 29/01/2011 से 28/01/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षो अर्थात् दिनांक 29/01/2021 से 28/01/2041 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ताराशिव 400 मीटर, स्कूल ग्राम–ताराशिव 400 मीटर एवं अस्पताल बलौदाबाजार 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 104 मीटर, एनीकट 346 मीटर एवं तालाब 400 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 15,721 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 12,402 घनमीटर एवं निकालनेबल रिजर्व 11,781 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 623 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 437 वर्गमीटर में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 7.8 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 4 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,579	पंचम	1,579
द्वितीय	1,579	षष्टम	1,579
तृतीय	1,579	सप्तम	1,579
चतुर्थ	1,579	अष्टम	1,349

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण आदि) हेतु जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से किया जाएगा एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं

सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 380 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का चयन, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का चरणबद्ध व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में ऑफिस हेतु 38 वर्गमीटर क्षेत्र एवं मिट्टी के रखरखाव हेतु 617 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School, **Village-Tarashiv**	
			Rain Water Harvesting	0.60
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Plantation (30 plants)	0.072
			Total	**0.822**

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. ईंट निर्माण से जनित फलाई ऐश का उपयोग पुनः ईंट निर्माण में किये जाने एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के अनुसार ईंट निर्माण प्रक्रिया में ईंट पकाने (फिक्स चिमनी में) की विधि दो वर्ष के भीतर जिग–जैग तकनीक से किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. ईंट निर्माण से जनित फ्लाई ऐश का उपयोग पुनः ईंट निर्माण में किये जाने एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के अनुसार ईंट निर्माण प्रक्रिया में ईंट पकाने (किलन चिमनी में) की विधि दो वर्ष के भीतर जिग–जैग तकनीक से किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

3. **मेसर्स बोकी (बीरोपानी) आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अमन कुमार सोनी), ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1790)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/222216/2021, दिनांक 28/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 04/08/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 42/1, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर है। खदान की उत्खनन क्षमता – 3,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 44,313.88 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 04/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 28/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभागर अली, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 42/1, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता–3,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक /310/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2001	90	2008	795	2015	555.1
2002	235	2009	600	2016	26.1
2003	120	2010	360	2017	10
2004	65	2011	180	2018	77
2005	निरंक	2012	165	2019	185.6
2006	55	2013	240	2020	480
2007	10	2014	60	2021	312

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बोकी का दिनांक 18/09/2000 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खा.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 282/खनिज/खलि. 3/उत्खनन यो./2020–21 दिनांक 15/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 159/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 160/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री संजय कुमार गुप्ता के नाम पर थी। लीज डीड 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 13/03/2001 से 12/03/2031 तक की अवधि हेतु वैध है। उक्त लीज का हस्तांतरण दिनांक 14/08/2020 को श्री अभय सोनी के नाम पर किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, सामान्य जशपुर नगर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./987 जशपुर, दिनांक 08/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बोकी 250 मीटर, स्कूल ग्राम–बोकी 3 कि.मी. एवं अस्पताल जशपुर नगर 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है। तालाब 280 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,68,000 टन, माईनेबल रिजर्व 2,21,969 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,99,412 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,384 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 2,000 वर्गमीटर है। जैक हैमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	44,313.88
द्वितीय	44,313.88
तृतीय	44,313.88
चतुर्थ	44,313.88
पंचम	44,313.88

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 712 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया जाना बताया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बिरोडगी बोडी के अंतर्गत बिरोडगी पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 200 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना किया जाना आवश्यक है। साथ ही पहुँच मार्ग की लम्बाई (नक्शे में अक्षांश देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं खसरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त वृक्षों का चयन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए; साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना कर कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) हेतु पहुँच मार्ग की लम्बाई (नक्शे में अक्षांश देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं खसरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त वृक्षों (जैसे– पीपल, बरगद, बेल,

कदम आदि) का चयन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. समीपवर्ती प्राकृतिक जल स्त्रोतों की सुरक्षा करने तथा कोई हानि नहीं पहुंचाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स बोकी आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अमन कुमार सोनी), ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1737)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/218363/2021, दिनांक 18/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बोकी, तहसील–जशपुर नगर, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 292, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर है। खदान की उत्खनन क्षमता – 2,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6,318 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 22/02/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 04/03/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 04/03/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 418वीं बैठक दिनांक 26/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/07/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 426वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री असगर अली, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गयी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 292, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता– 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः समिति का मत है कि

परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/309/खनि. शा./2021 जशपुर, दिनांक 08/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
2012	निरंक	2017	157
2013	370	2018	100
2014	50	2019	824
2015	निरंक	2020	1,700
2016	निरंक	2021	300

समिति का मत है कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में दिये गये उत्पादन आंकड़ों की मात्रा में इकाई (Unit) का उल्लेख नहीं है। अतः विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में दिये गये उत्पादन आंकड़ों की मात्रा में इकाई (Unit) का उल्लेख करते हुए खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बोकी का दिनांक 25/09/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 157/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 158/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 28/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्री विरेन्द्र के नाम पर थी। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 11/05/2012 से 10/05/2042 तक की अवधि हेतु वैध है। उक्त लीज का हस्तांतरण दिनांक 19/11/2018 को श्री अभय कुमार सोनी के नाम पर किया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2012/800 जशपुर, दिनांक 08/03/2012 के प्रमाण पत्र में आवेदित क्षेत्र हेतु अनापत्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। अतः लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बोकी 830 मीटर, स्कूल ग्राम–बोकी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल जशपुरनगर 12.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 11.7 कि.मी. दूर है। नदी 1.2 कि.मी. एवं तालाब 365 मीटर की दूरी पर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,51,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,38,787 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,24,880 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,801 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बैंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 22 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं क्रशर स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,318
द्वितीय	6,318
तृतीय	6,318
चतुर्थ	6,318
पंचम	6,318

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, जल आपूर्ति स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 415 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कोदी के अंतर्गत कोदी पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 200 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना किया जाना आवश्यक है। साथ ही पहुँच मार्ग की लम्बाई (नक्शे में अक्षांश देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं खसरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त वृक्षों का चयन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में किये गये उत्पादन आंकड़ों की मात्रा में इकाई (Unit) का उल्लेख करते हुए खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, जल आपूर्ति स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना की कुल लागत की उपयुक्त गणना कर कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) हेतु पहुँच मार्ग की लम्बाई (नक्शे में अक्षांश देशांतर सहित दर्शाते हुए एवं खसरावार सहित) के अनुसार उपयुक्त वृक्षों का चयन कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

5. मेसर्स भौता क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री विपिन चौहान), ग्राम–भौता, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1948)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 257682/2022, दिनांक 20/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 14/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भौता, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 402, कुल क्षेत्रफल–1.1 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता– 7,800 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 21/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स बुंदेली क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ध्रुपद चौहान), ग्राम–बुंदेली, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1936)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 257436/2022, दिनांक 19/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 14/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बुंदेली, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 487, कुल क्षेत्रफल–0.6 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,942 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 21/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के

कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मैसर्स श्री तुलसी फॉस्केम्स लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1925)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी3/ 71881/2022, दिनांक 03/02/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/07/2022 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. के कुछ बिन्दुओं में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–बिरकोनी, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित प्लॉट नं. – 212, 213 एवं 214, कुल क्षेत्रफल – 4.26 हेक्टेयर में प्रस्तावित सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी)/ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) क्षमता–1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल निर्माण रुपये 17.5 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा प्रकरण बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) केमिकल फर्टिलाईजर्स हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/07/2022 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. के कुछ बिन्दुओं में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है–

S.N.	Conditions	Clarification
1.	It has been asked by SEAC Chhattisgarh to conduct Hearing for the project.	The project is in a notified industrial area. The notified area has been established before 2006. Public Therefore, the project being located in a notified industrial area, the project is exempted from Public Hearing as per clause 7 (i) (II) of EIA notification 2006 & OM J-11011/321/2016-IA. II(1) dated 27.04.2018.
2.	Condition No. (i): Project Proponent shall	According to the Office Memorandum, dated 29th August 2017 issued by MOEF&CC is enclosed. It

	inform Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.	is stated that the baseline data used for the preparation of EIA/EMP reports may be collected at any stage, irrespective of the request for TOR or the issue thereof. However, the baseline data should not be older than 3 years. So, in line with this OM, M/s Tulsi Phosphate has already conducted the monitoring for the period (1st Dec 2021 to 28th Feb, 2022). The monitoring test reports will be submitted along with the submission of EIA report.

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई उपरोक्त स्पष्टीकरण के बिन्दु क्रमांक 1 के परिप्रेक्ष्य में समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक J-11011/321/2016-IA.II(I), दिनांक 27/04/2018 के अनुसार "the exemption from public consultation, as provided under para 7(i) III Stage (3)(i)(b) of the EIA Notification, 2006, shall not be applicable to the following projects or activities (located within the industrial estates / parks) listed as under." में 5 (a) का उल्लेख नहीं है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Government of India Ministry of MSME, State Industrial Profile of Chhattisgarh 2015-16 के **सारणी क्रमांक–8 के बिंदु क्रमांक–37** में Industrial Area, Birkoni, Mahasamund का उल्लेख है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लीज मेसर्स श्री तुलसी कॉन्सन्ट्रेट लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर है। लीज डीड 99 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/10/2010 से 24/10/2109 तक की अवधि हेतु वैध है।

4. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में लोक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई उपरोक्त स्पष्टीकरण के बिन्दु क्रमांक 2 के परिप्रेक्ष्य में समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक J-11013/41/2006-IA-II(I)(Part), दिनांक 29/08/2017 के अनुसार "(vii) The baseline data used for preparation of EIA/EMP reports may be collected at any stage, irrespective of the request for TOR or the issue thereof. However, such a baseline data and the public consultation should not be older than 3 years, at the time of submission of the proposal, for grant of Environmental Clearance, as per ToRs prescribed." का उल्लेख है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में ही बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 दिसम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 के मध्य किया गया है। उक्त बेसलाईन डाटा की अवधि को 03 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है। अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु उक्त बेसलाईन डाटा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान किये जाने

एवं तदानुसार नवीन टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में निम्न संशोधन किये जाने की अनुशंसा की गई:–

"प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) केमिकल फर्टिलाईजर्स हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई"

के स्थान पर

"प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(ए) केमिकल फर्टिलाईजर्स एवं भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेन्डम क्रमांक J-11011/321/2016-IA.II(I), दिनांक 27/04/2018 द्वारा **Exemption from Public Consultation for the projects/activities located within the Industrial Estates/Parks** हेतु स्टैण्डर्ड **टीओआर (बिना लोक सुनवाई)** निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुशंसा की गई"

पढ़ा जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स राम्या उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, फेस–2, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1650)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 211530/ 2021, दिनांक 13/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/07/2022 के माध्यम से सी.ई.आर. के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा फेस–2 के समीप, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा नंबर 114/(10–12), कुल रकबा – 14.928 एकड़ में होट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल – 57,600 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनिवेश का कुल लागत 30.15 करोड़ होगा।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 191, दिनांक 13/06/2022 द्वारा मेसर्स राम उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, फेस–2, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा नंबर 114/(10–12), कुल क्षेत्रफल – 14.828 एकड़ में यूनिट–2 एवं यूनिट–3 को समायोजित (Merge) कर वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस में हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल – 57,600 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति **"सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 60 लाख को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा करने उपरांत इसकी सूचना एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करें। साथ ही उक्त राशि का विस्तृत प्रस्ताव (D.P.R. with estimate) राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) से प्राप्त कर 02 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।"** शर्त के अधीन जारी की गई थी।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/07/2022 के माध्यम से सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 60 लाख को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 426वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 60 लाख को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा करने के संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक F.No. 22-65/2017-IA.III, दिनांक 20/10/2020 के अनुसार "An OM of even number dated 30th September, 2020 was issued inter-alia stating that henceforth the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee shall deliberate on the commitments made by the project proponent to address the concerns raised during the public consultation and prescribe specific condition(s) in physical terms while recommending the proposal, for grant of prior environment clearance instead of allocation of funds under Corporate Environment Responsibility." की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर समिति का यह मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु समयबद्ध कार्ययोजना (निर्माण एवं संधारण सहित) प्रस्तुत करें, जिसका सत्यापन इस समिति द्वारा गठित होने वाली उपसमिति द्वारा, की गई घोषणा अनुसार कार्य की प्रगति का नियमित अंतराल पर मौका जाँच व प्रतिवेदन स्थल निरीक्षण आधारित प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु समयबद्ध कार्ययोजना (निर्माण एवं संधारण सहित) प्रस्तुत किया जाए, जिसका सत्यापन इस समिति द्वारा गठित होने वाली उपसमिति द्वारा की गई घोषणा अनुसार कार्य की प्रगति का नियमित अंतराल पर मौका जाँच व प्रतिवेदन स्थल निरीक्षण आधारित प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 703)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 25179/ 2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 25179/ 2018, दिनांक 08/02/2021 द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन की श्रेणी के अंतर्गत ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 26/1, कुल एरिया 121.40 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर में कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रूपये 1450 लाख प्रस्तावित है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/04/2018 द्वारा प्रकरण बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन/वर्ष वेट टाईप हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 17/02/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsability) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतिकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार गुप्ता, मैनेजिंग डॉयरेक्टर एवं मेसर्स [illegible] लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. व्हाडेकर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति** – वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन दिनांक 16/03/2018 द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण की जानकारी निम्नानुसार है–

S.No.	Name of Product	Production Capacity
1.	Sponge Iron	2,70,000 Tonnes per Annum (Two Lakh Seventy Thousand Tonnes per Annum)
2.	Steel Division	3,31,500 Tonnes per Annum (Three Lakh Thirty one Thousand Five Hundred Tonnes per Annum)
3.	Rolling Mill (3+one additional)	3,84,000 Tonnes per Annum (Three Lakh Eighty Four Thousand Tonnes per Annum)
4.	Waste Heat Recovery Based Power Plant	25 MW (Twenty Five Megawatt)
5.	Coal Based Power Plant	2x30 MW (Two into Thirty Megawatt)
6.	Ferro Alloys Plant	29,400 Tonnes per Annum (Twenty Nine Thousand Four Hundred Tonnes per Annum)
7.	Coal Gasifier Plant	5x8,000 Nm^3 / hr (Five into Eight Thousand Nm^3 / hr)
8.	Oxygen / Nitrogen Gas Plant (One No.)	170 Nm^3 / hr (One Hundred Seventy Nm^3 / hr)

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–मांढर 8 कि.मी. एवं शहर रायपुर 12 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 0.88 कि.मी. एवं छोकरा नाला 1.03 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.89 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- ग्राम पंचायत सिलतरा का दिनांक 25/08/2006 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 2.529 हेक्टेयर है, जिसमें से खसरा क्रमांक 16/1 के अंतर्गत 0.534 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 29/1 के अंतर्गत 0.352 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 29/2 के अंतर्गत 0.809 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 28/1 के अंतर्गत 0.834 हेक्टेयर है।

4. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स एस.के.एस. इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

5. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष से वाश्ड कोल – 0.54 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा कोल रिजेक्ट्स – 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. / ओपन मार्केट के खदानों से आपूर्ति किया जाता है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन रेल एवं सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वाश्ड कोल का उपयोग स्वयं के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में किया जाएगा।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाउस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स को ढ़ाक जाकर बेग फिल्टर से संलग्न कर 30 मीटर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। सभी कन्वेयर सिस्टम को ढ़ंका जायेगा।

7. **ठोस अपशिष्ट की मात्रा** – रिजेक्ट कोल 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रिजेक्ट्स का उपयोग स्वयं के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में उपयोग किया जायेगा।

8. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत संबंधी जानकारी** – कोल वॉशरी में प्रोसेस हेतु लगभग 72 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं डस्टसप्रेशन उपयोग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। इस प्रकार कुल 90 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होगी। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में जल की आपूर्ति खारून नदी से की जाती है, इस हेतु 4,800 घनमीटर प्रतिदिन जल दोहन हेतु अनुमति जल संसाधन विभाग से प्राप्त किया गया है। यही व्यवस्था कोल वॉशरी भी अपनाई जायेगी। वॉटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित (क्लोज्ड सर्कुट वॉटर सिस्टम व्यवस्था) कोल वॉशरी स्थापित किया गया है। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर एवं सेटलिंग पौण्ड की स्थापना किया जायेगा। कोल स्लज के फिल्टरिंग हेतु व्यवस्था की जाएगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को आवश्यकतानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के अंदर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 1.6 घनमीटर/दिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 85 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति स्वयं के कैप्टीव पावर प्लांट से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट परिसर के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 700 से 800 नग वृक्षारोपण किया गया था। कोल यार्ड के चारों तरफ 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 मार्च 2019 से 15 जून 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 15 से 38.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42 से 112.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8 से 23.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_x$ 10 से 28.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 51.5 डीबीए से 73.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.3 डीबीए से 61.4 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

12. लोक सुनवाई दिनांक 25/11/2020 प्रातः 03:00 बजे स्थान सी.एस.आई.डी.सी. भवन, औद्योगिक क्षेत्र, फेज–2, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 08/01/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

13. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण अत्यधिक हो रहा है। साथ ही काले धुएं के कारण तालाब का पानी भी प्रदूषित होता है।

ii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iii. जनसुनवाई रखे जाने की सूचना हेतु ग्राम पंचायतों में मुनादी नहीं कराये जाने के कारण जनता अपनी समस्या रख नहीं पाए।

जनसुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाउस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। ई.आई.ए. रिपोर्ट में 10 कि.मी. की परिधि में आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया है।

ii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

iii. जनसुनवाई के संदर्भ में जानकारी दी गई थी एवं स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसकी सूचना दी गई थी।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु 57.116 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) की गणना की गई है। उक्त गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं होना बताया गया है, जबकि यह उल्लंघन का प्रकरण है। अतः इस संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।

3. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।

4. Environmental Compansation हेतु की गई की गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्क्रीमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्क्रीमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

5. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

6. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/05/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा कम से कम 10–15 मीटर की चौड़ाई में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का गणना सहित विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. Environmental Compensation हेतु की गई की गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में रेन गन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु प्रोसेस में लगभग 90 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होना बताया गया है। जल की मात्रा वॉशरी की क्षमता के संदर्भ में कम प्रतीत हो रही है। गणना सहित विस्तृत वॉटर बेलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी अप्राप्त है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का गणना सहित विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
3. Environmental Compensation हेतु की गई गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार अद्यतन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड

कम्युनिटी आग्युमेंटेशन प्लान, इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में रेन गन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार आवश्यक जल की मात्रा की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वॉटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत किया जाए।

6. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 379वीं बैठक दिनांक 19/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक गुप्ता, प्रबंध संचालक एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर्स एण्ड कन्सलटेन्ट की ओर से श्री जगमोहन कुमार पंडा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

2. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 4,19,568 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) एवं 4 नग रिजर्वायर (पौण्ड) क्षमता 4,94,500 घनमीटर स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था तथा स्थापित रिजर्वायर से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

3. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–**

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशियो–इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का समावेश करते हुए रेमेडियेशन प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 24,23,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,35,000 (कुल–रुपये 51,68,000/–) की गणना कर

प्रस्तुत किया गया है। Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,35,000 (कुल–रुपये 27,45,000/–) को आस–पास के क्षेत्रों में सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, हैण्ड पम्प के निर्माण, स्कूल भवनों में वृक्षारोपण, टॉयलेट्स के निर्माण, हेल्थ चेकअप किए जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में स्थापित रेन–गन का फोटोग्राफ्स सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

5. कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार आवश्यक जल की मात्रा की गणना वॉटर बैलेंस चार्ट सहित प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना हेतु कुल 254 घनमीटर प्रतिदिन जिसमें से फ्रेश वॉटर हेतु 90 घनमीटर प्रतिदिन (प्रोसेस हेतु 72 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन एवं वृक्षारोपण हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) एवं रिसाईकल वॉटर 158 घनमीटर होगी।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	1%	14.5	Following activities at 10 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	8.23
			Potable Drinking Water Facility	5.15
			Running Water Facility	5.00
			Plantation	1.65
			Total	**20.03**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–घरौंदा, ग्राम–कनवाहा, ग्राम–धनौरा, ग्राम–टांडा एवं नवीन प्राथमिक शाला घरौंदा, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–घरौंदा, शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–तिलवाड़ा, दादा धीरजलाल उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–पानसराई, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–घरौंदा, ग्राम–तिलवाड़ा में किया जाएगा। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. की गणना 2 प्रतिशत की दर से कर कुल राशि 29,00,000/– का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। प्रस्ताव में तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव शामिल किया जाए।

7. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

i. Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट किया जाए। इससे संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाए।

ii. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. राशि की गणना 2 प्रतिशत के दर से कर कुल राशि रूपये 29,00,000/- का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

iv. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

v. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18/08/2021 एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. मेसर्स **Challa Chlorides Pvt. Ltd., district- Solapur, Maharastra** एवं मेसर्स **Sree Kartikeya Kameshwari Industries** द्वारा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., महाराष्ट्र को प्रस्तुत Remediation, Community and Rosource Augmentation Plan अनुसार गणना की गई है। जिसके अनुसार Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरन्मेंट, सोशियो-इकोनॉमिक इन्वायरन्मेंट का समावेश करते हुए रेमेडिएशन प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 28,25,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रूपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रूपये 4,35,000 (कुल-रूपये 51,68,000/-) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Environmental Compensation की गणना हेतु (1) कोल वॉशरी की स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य किया गया, (2) संचालन प्रारंभ उपरांत कितनी अवधि के लिए कब-कब संचालित किया गया, (3) कोल वॉशरी के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की गई है अथवा नहीं? आदि की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मण्डल से मंगाया जाना आवश्यक है, जिसके आधार पर Environmental Compensation की गणना की पुष्टि की जाकर Remediation, Community and Resource Augmentation Plan पर उपयुक्त निर्णय लिया जा सके।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at 10 Nearby Government Schools and Deepening of Pond	
			Rain Water Harvesting System	8.23
			Potable Drinking Water Facility	5.15
			Running Water Facility for Toilets	5.00
			Plantation with Fencing	1.65
			Deepening of Pond	9.00
			Total	**29.03**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य (1) नवीन शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धनौदा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धनौदा, (3) शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–धनौदा, (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–धनौदा, (5) डॉ. पोषणलाल उसार उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–पारसवाडा, (6) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–सिलघट, (7) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कपसदा, (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धनसौदा, (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–टोंका में किया जाएगा। (10) तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव अंतर्गत ग्राम–धनौदा, ग्राम–सिलघट, ग्राम–पारसी एवं ग्राम–धनसौदा को शामिल किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन/परीक्षण किया गया, जिसमें प्रस्तावित कार्यों में अनुमानित खर्च अत्यधिक बताया गया है। अतः उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करते हुये सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के माध्यम से निम्न जानकारी ली जाए:–

i. क्या कोल वॉशरी की स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य किया गया है?

ii. कोल वॉशरी को कब–कब कितनी अवधि के लिए संचालित किया गया?

iii. कोल वॉशरी का संचालन बन्द करने के लिए क्या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं? साथ ही क्या कोल वॉशरी के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल / विद्युत विभाग द्वारा की गई है?

iv. कोल वॉशरी वर्तमान में संचालित है अथवा नहीं? स्पष्ट किया जाए। साथ ही वर्तमान में विद्युत विच्छेदित है अथवा नहीं? बताया जाए।

2. उपरोक्त निर्णय अनुसार सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त मदों को शामिल करते हुये इसकी उपयुक्त गणना कर विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज सहित एवं Environmental Compensation की उपयुक्त गणना उपरांत Remediation, Community and Resource Augmentation Plan पर प्रस्तुतीकरण हेतु आगामी बैठक में ऑनलाईन उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक गुप्ता, प्रबंध संचालक विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 14/09/2021 के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित की गई है जिससे निम्न जानकारी प्राप्त हुई है–

   i. उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय द्वारा पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में कोल वॉशरी–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सम्मति दिनांक 02/08/2007 को जारी की गई थी। इस संदर्भ में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 08/10/2009 को किया गया था, तत्समय उद्योग द्वारा कोल वॉशरी 200 टी.पी.एच का निर्माण कर उत्पादन कार्य आरंभ किया गया था।

   ii. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 2578 दिनांक 28/10/2010 के द्वारा उद्योग को निर्देशित किया गया कि आपके द्वारा 200 टी.पी.एच. क्षमता की कोल वॉशरी स्थापित की गई है। इस कोल वॉशरी के लिये अभी तक पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन सम्मति प्राप्त नहीं हुई है। नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन सम्मति प्राप्त किये बिना कोल वॉशरी संचालित नहीं की जा सकती है। निरीक्षण पर उद्योग की इस कोल वॉशरी इकाई में विद्युत संयोजन पाया गया है। अतः कोल वॉशरी के चलाये जाने की संभावनाओं को समाप्त करने के लिये कोल वॉशरी इकाई को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को विच्छेदन कर सूचित करें।

iii. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 2576 दिनांक 26/10/2010 के पालनार्थ कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 491 दिनांक 24/12/2010 के अनुसार कोल वॉशरी प्लांट के लिए स्थापित मेन एल.टी. ब्रेकर को दिनांक 08/12/2010 को सील करने तथा तत्समय विद्युत विभाग द्वारा स्थल पर बनाये गये पंचनामा की प्रति प्रस्तुत की गई है।

iv. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा दिनांक 14/09/2021 को किये गये निरीक्षण के दौरान कोल वॉशरी बंद पाई गई तथा कोल वॉशरी के इलेक्ट्रिकल पैनल्स सील पाये गये।

उल्लेखनीय है कि उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 14/09/2021 के माध्यम से बताया गया कि कोल वॉशरी के स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य नहीं किया गया है। कोल वॉशरी हेतु स्थापना सम्मति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 3236, दिनांक 02/08/2007 जारी किया गया था व उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2576, दिनांक 26/10/2010 के माध्यम से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का विच्छेदन करने का निर्देश दिया गया था जिसके बाद उद्योग द्वारा स्वतः ही विद्युत आपूर्ति विच्छेदन कर दिया गया था। विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 08/12/2010 को क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2576 दिनांक 26/10/2010 के निर्देशानुसार उद्योग में स्थापित कोल वॉशरी का निरीक्षण कर उद्योग बंद स्थिति में पाया व संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित सील किया। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार व विद्युत विभाग की कार्यवाही विद्युत विच्छेदन के बाद से अब तक कोल वॉशरी पूर्णतः बंद है व अब जर्जर अवस्था में है, पर्यावरणीय स्वीकृति व संचालन सम्मति मिलने तक कोल वॉशरी में कोई उत्पादन नहीं किया जाएगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करते हुये निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at 14 Nearby Government Schools, 01 Govt. Hospital and Deepening of 04 village's Pond.	
			Rain Water Harvesting System	13.5
			Potable Drinking Water Facility	2.56
			Running Water Facility for Toilets	2.5

			Plantation with Fencing	1.65
			Deepening of Pond	9.00
			Total	**29.31**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य (1) नवीन शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–परसौदा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला केन्द्र ग्राम–परसौदा, (3) शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–परसौदा, (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–परसौदा, (5) दाऊ पोषणलाल उत्तर माध्यमिक शाला ग्राम–परसदाड़ी, (6) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–सिवनकुआ, (7) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–सिवनकुआ (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कपसदा, (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धनसौंदा, (10) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–टोंका (11) शासकीय प्राथमिक शाला बरतरा (12) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कुर्रा (13) शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला ग्राम–मुरेठी (14) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धनसौंदा भाठा (15) शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–धनसौंदा में किया जाएगा। (16) तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव अंतर्गत ग्राम–परसौदा, ग्राम–सिवनाद, ग्राम–परसदाड़ी एवं ग्राम–धनसौंदा को शामिल किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा Ecological Damage, Remedition Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशियो–इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का समावेश करते हुए रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 28,25,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 27,90,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 6,60,000 (कुल–रुपये 62,75,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्लान के तहत् परियोजना स्थल से 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन, आंगन बाड़ी में सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, पहुंच मार्गों में वृक्षारोपण, जागरूकता कार्यक्रम, हेल्थ चेकअप आदि किए जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।

4. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-12015/63/2019-AS/469 dated April 10, 2019 के "Record notes of discussion in the 6[2nd] conference of Chairman and Member Secretaries of Pollution Control Boards / Committees held on March 18, 2016" के अनुसार Environmental Compensation हेतु निर्धारित फार्मूला EC=PIxNxRxSxLF (EC - Environmental compensation in Rs, PI - Pollution Index of Industrial Sector, N - Number of days of voilation took place, R - a Factor in Rs. For EC, S - Factor for scale of operation LF - Location Factor) अथवा न्यूनतम 5,000 रुपये प्रति दिन का अवलोकन किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु 5,000 रुपये प्रति दिन के आधार पर स्थापना सम्मति दिनांक 02/06/2007 एवं एन.टी. क्रेकर सील दिनांक 08/12/2010 के मध्य की अवधि को संज्ञान में लेते हुये कुल उल्लंघन दिवस 1,254 मान्य किया गया। जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 62,70,000/– रुपये (5000 X 1254) होगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा Ecological Damage, Remedition Plan and Natural and Community

Resource Augmentation Plan हेतु राशि 62,75,000/– रूपये की गणना कर प्रस्तुत की गई है। उक्त के संदर्भ में समिति सहमत रही कि सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ के माध्यम से सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईको पार्क निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रूपये का व्यय किया जाए। इस आशय हेतु उक्त राशि की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईको पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाउंटेन, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कर सौंदर्यीकरण एवं फ्यूजिटिव डस्ट नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलर निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रूपये का विस्तृत प्रस्ताव सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ से प्राप्त कर 02 माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड की ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1, में स्थित कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईको पार्क निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रूपये का विस्तृत प्रस्ताव 02 माह में प्रस्तुत करने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/– रूपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 116वीं बैठक में विचार किया गया था। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/– रूपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि उक्त बैंक गारंटी की क्लेम पीरियड कार्य पूर्ण होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक होगी। बैंक गारंटी प्राप्त होने की पुष्टि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से होने के पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने बाबत् विचार हेतु प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/10/2021 एवं 16/11/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 30/12/2021 को संपन्न 117वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन कर नोट किया गया–

1. मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड की ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1 में स्थित कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ईको पार्क

निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रुपये का विस्तृत प्रस्ताव आज दिनांक तक अप्राप्त है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/– रुपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा किया जाना बताया गया है। उक्त बैंक गारंटी प्राप्त होने की पुष्टि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन दिनांक 16/11/2021 द्वारा किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31/03/2023 तक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर" में कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के स्थान पर **"कुल एरिया 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर"** में कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारियां एवं समिति द्वारा किये गये पत्राचारों एवं जारी टी.ओ.आर. में कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर का उल्लेख किया जाना पाया गया है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक से सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से ईको पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाउंटेन, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कर सौंदर्यीकरण एवं फ्यूजिटिव डस्ट नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स की स्थापना हेतु राशि 62,75,000/– रुपये का विस्तृत समयबद्ध प्रस्ताव मंगाया जाए।

उपरोक्त तथ्यों तथा प्लांट के कुल क्षेत्रफल में से कोल वॉशरी के क्षेत्रफल संबंधी तथ्यों तथा सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से ईको पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाउंटेन, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण कर सौंदर्यीकरण एवं फ्यूजिटिव डस्ट नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स की स्थापना हेतु विस्तृत समयबद्ध प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

(घ) समिति की 398वीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदित प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा जो तथ्यों को संज्ञान में लिया जाकर परियोजना प्रस्तावक से जानकारियां वांछनीय थी, उसके संदर्भ में प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण है। भूमि संबंधी अभिलेख पूर्ण नहीं है एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों का पुनः परीक्षण आवश्यक है। कोल वॉशरी को संचालन सम्मति कब स्वीकृत हुई, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट प्राप्त किया जाना आवश्यक है। संचालन सम्मति के पश्चात् कितना मीट्रिक टन कोयले कब से कब तक वॉश किया गया एवं उससे कितना उत्पादन हुआ? इस दौरान पर्यावरण की कितनी क्षति हुई विवेचना किया जाना आवश्यक है। विद्युत विच्छेदन कब किया गया? वर्तमान में कोल वॉशरी संचालित है

अथवा नहीं? कोल वॉशरी को बंद करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा क्या कार्यवाही की गई।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्तानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय क्षति का नये सिरे से मूल्यांकन कर प्रस्तुत किया जाए।
3. प्लांट के कुल क्षेत्रफल में से कोल वॉशरी के क्षेत्रफल संबंधी तथ्यों तथा सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से ईको पार्क निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु वाटर फाउंटेन, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण का सौंदर्यीकरण एवं फ्युजिटिव डस्ट नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स की स्थापना हेतु विस्तृत समयबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान स्थिति के अनुसार परियोजना के कुल विनिवेश का घटकवार ब्रेक-अप प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(क) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस. सुरेश, जनरल मैनेजर एवं श्री कृष्ण कांत, इन्वायरमेंट मैनेजर तथा मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. धाबेकर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ईको पार्क निर्माण हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त भूमि खसरा क्रमांक 517/1, 518/1, 518/2, 519, 520/1, 520/2, 524/1, 531/1, 532/1, 532/2 एवं 532/3 में मण्डल प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.वि.नि./व्यय/2022/5986 रायपुर, दिनांक 25/01/2022 के अनुसार ईको पार्क निर्माण हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

वर्ष एवं कार्य	राशि
कैंपिंग व्यय	5,36,599
प्रथम वर्ष (क्षेत्र सफाई, सर्वेक्षण कार्य, गड्ढा खुदाई, मिट्टी क्रय, रोपणी व्यय, खाद क्रय, सिंचाई, सुरक्षा रख-रखाव, आदि)	29,72,630
द्वितीय वर्ष (मृत पौधा परिवर्तन कार्य, रोपणी व्यय, खाद क्रय, सिंचाई, निंदाई कार्य, सुरक्षा रख-रखाव, आदि)	10,48,573
तृतीय वर्ष (निंदाई कार्य, सिंचाई, सुरक्षा रख-रखाव, आदि)	9,27,129
चतुर्थ वर्ष (सुरक्षा रख-रखाव, आदि)	4,55,405
चौकीदार हट का निर्माण	25,289
पाथवे निर्माण कार्य, पेवर लगाना	3,09,375
कुल	62,75,000

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत ले–आउट प्लान में वृक्षारोपण हेतु कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण लगाया जाना बताया गया है। समिति का मत कि वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में स्थापित वृक्षारोपण क्षेत्र एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कोल वॉशरी का क्षेत्र 2.529 हेक्टेयर है। समिति द्वारा उक्त के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज में ग्राम–सिलतरा एवं ग्राम–मुरेठी का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा केवल ग्राम पंचायत सिलतरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत कि ग्राम पंचायत मुरेठी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. समिति द्वारा पूर्व में दिये गये सी.ई.आर. के तहत् कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसके रख–रखाव हेतु तथा स्कूल में अतिरिक्त ईको लाईब्रेरी निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप के पृथक–पृथक इकाई सहित वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में किये गए वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में किये गये वृक्षारोपण का नाम, संख्या, रोपण क्षेत्रफल एवं फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कोल वॉशरी का क्षेत्र 2.529 हेक्टेयर के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. ग्राम पंचायत मुरेठी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. पूर्व में दिये गये सी.ई.आर. के तहत् कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसके रख–रखाव हेतु तथा स्कूलों में अतिरिक्त ईको लाईब्रेरी निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा कंपनी का आडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जावे जिससे कि कंपनी का प्रश्नाधीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तद्‌नुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 26/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ए) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप के पृथक–पृथक इकाई सहित वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में किये गए वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप के पृथक–पृथक इकाई परिसर के भीतर कुल भूमि 190.78 एकड़ में स्थित है। वर्ष, 2020 में कराये गये सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उद्योग परिसर के भीतर कुल क्षेत्रफल के 64.94 एकड़ क्षेत्र में (लगभग 33 प्रतिशत) वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा वर्ष, 2020–21 से वर्ष, 2022–23 तक 3 वर्षों में लगभग 8 एकड़ भूमि में (5 एकड़ रिक्त स्थान एवं 3 एकड़ में गैप फिलिंग) सहित लगभग 10,000 नग वृक्षारोपण का कार्य कराया जा चुका है, जिसके अनुसार कुल भूमि 190.78 एकड़ में से 70.94 एकड़ (37.19 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आगामी मानसून वर्ष, 2023–24 तक (40 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

2. पूर्व में किये गये वृक्षारोपण का नाम, संख्या, रोपण क्षेत्रफल एवं फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार–

Tree Sapling Location	Number of Plants
2020-21 to 2021-22	
Gate No. 4 & 5 gap filling	600
Near Gate No. 4 garden site	1,000
Gap filling in Plant premises	3,000
Near fly ash silo no. 5 & 6 plant boundary site	500
Road side gap filling between Gate No.1 to coal yard & Gate No. 4 & 5 road side (work in under progress)	1,000
Near rolling mill 4 dispatch yard	250
out side the premises of Maha-abhiyan Program	1,000
2022-23	
Near Gate No. 5	1,200
Near SMS cooling tower plant garden	600

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कोल वॉशरी का क्षेत्र 2.629 हेक्टेयर के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि कोल वाशरी की स्थापना ग्राम–सिलतरा की अधिग्रहित भूमि में किया जाना है। इस कारण ग्राम पंचायत सिलतरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। इस संबंध में समिति का मत है कि यह परियोजना ग्राम–चुरेठी के अंतर्गत भी आता है। अतः ग्राम पंचायत चुरेठी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. उद्योग द्वारा पूर्व में सी.ई.आर. के अंतर्गत 29 लाख रूपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव दिया गया था। परंतु प्रस्तुतीकरण के दौरान कम से कम 5 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके लिया उद्योग द्वारा 3 लाख रूपये अधिक व्यय करने का निर्णय लिया है। साथ ही स्कूलों में अतिरिक्त ईको लाईब्रेरी निर्माण हेतु एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों में जागरूकता हेतु अतिरिक्त 1 लाख रूपये व्यय किया जाएगा। इस प्रकार सी.ई.आर. के अंतर्गत कुल 33 लाख रूपये व्यय किया जाएगा। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at, 14 Government Hospitals, School & 1 Village Pond	
			Rain Water Harvesting	15.525
			Potable Drinking Water Facility	2.944
			Running Water Facility for Toilets	2.875
			Plantation with fencing	1.897
			Total	**23.241**
			Development of Environmental Library	**4.152**
			Grand Total	**27.393**

सी.ई.आर. के अंतर्गत कुल 33 लाख रूपये व्यय किये जाने का लेख किया गया है, जबकि वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सी.ई.आर. के प्रस्ताव में 27.393 लाख रूपये का ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् कुल 33 लाख रूपये व्यय किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व में दिये गये सी.ई.आर. के तहत् कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसके रख–रखाव हेतु तथा स्कूलों में अतिरिक्त ईको लाईब्रेरी निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक की अवधि हेतु कंपनी का ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. समिति द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल आवेदन में दर्शित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विवरण इस स्टेज में मान्य योग्य नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

i. कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.75 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कोल वॉशरी का क्षेत्र 2.529 हेक्टेयर के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

ii. ग्राम पंचायत कुरेठी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के तहत् कुल 33 लाख रूपये व्यय किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव डी.पी.आर. प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्व में दिये गये सी.ई.आर. के तहत् कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसके रख–रखाव हेतु तथा स्कूलों में अतिरिक्त ईको लाईब्रेरी निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स दुलदुला ब्रिक्स अर्थसे क्वारी एण्ड ब्रिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता), ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1886)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 243410/2021, दिनांक 25/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं ब्रिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–दुलदुला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561, कुल रकबा – 2.256 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 19/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–

i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 559/17, 559/18, 559/2, 559/7, 559/19, 559/20, 559/21 एवं 561, कुल क्षेत्रफल–2.256 हेक्टेयर, क्षमता–1,400 घनमीटर (ईंट उत्पादन 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी अपूर्ण प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों को पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 282/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2011	200	2017	1,910
2012	निरंक	2018	1,280
2013	निरंक	2019	520
2014	200	2020	100
2015	1,000	03/2021	540
2016	820		

v. वर्ष, 2017 में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्खनन करने के कारण प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दुलदुला का दिनांक 23/08/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक/1862/खनिज/खा.लि.3/उत्खनन यो./2020 दिनांक 04/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/280/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/280/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, भवन, धार्मिक स्थल, मरघट, स्कूल, पुल, कलवर्ट, बांध, नल जल योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग आबादी क्षेत्र, अस्पताल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – पूर्व में लीज श्री महेश प्रसाद गुप्ता के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 28/08/2017 को श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता के नाम पर किया गया है। लीज डीड में 30 वर्षों की, दिनांक 10/12/2010 से 10/12/2040 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2010/10253 जशपुर, दिनांक 27/11/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दुलदुला 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–दुलदुला 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–दुलदुला 2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग 4.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 20 कि.मी. दूर है। पक्की सड़क 30 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 45,100 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 27,981 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,021 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.212 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 30 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,400
द्वितीय	1,400
तृतीय	1,400
चतुर्थ	1,400
पंचम	1,400

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 814 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
29	2%	0.58	Following activities at **Village- Duladula**	
			Pavitra Van Nirman	2.24
			Total	**2.24**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 700 रूपये, जल बोरिंग/तालाब से टैंकर के माध्यम से एवं रख–रखाव के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,24,100 रूपये, 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दुलदुला की सहमति उपरांत प्रस्तावित स्थान (खसरा क्रमांक 589/1, क्षेत्रफल 0.4) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. उल्लंघन के प्रकरणों हेतु एस.ओ.पी के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ.एन. 22–21/2020–आई.ए./III [ई138948], दिनांक 28/01/2022 द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम का अवलोकन किया गया। साथ ही उक्त ओ.एम. के पूर्व उल्लंघन के प्रकरणों हेतु एस.ओ.पी के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ.एन. 22–21/2020–आई.ए./III, दिनांक 07/07/2021 द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम का अवलोकन करने पर निम्न तथ्य पाये गये:–

"B. If permissible:

i. As per extant regulation at the time of scoping, if it is viewed that the project activity is otherwise permissible, Terms of Reference (TOR) shall be issued with direction to complete the impact assessment studies & submit Environment Impact Assessment (EIA) report & Environment Management Plan (EMP) in a time bound manner.

ii. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   (a) Damage Assessment
   (b) Remedial Plan and
   (c) Community Augmentation Plan by the central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory Level Expert Appraisal Committees, as the case may be."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/280/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक

है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी2' श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित किया जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है:-

   "The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

4. स्वीकृतिहीन खदान उत्खनन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   ii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.
   iii. Project proponent shall submit the new NOC of gram panchayat for mining.
   iv. Project proponent shall submit the details of land documents (B-1 and P-2) with agreement copy.
   v. Project proponent shall submit the detail compliance report of previous Environmental Clearance.
   vi. Project proponent shall submit the detail proposal of uses of broken bricks & the quantity of coal.
   vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
   viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

ix. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

x. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

xi. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xii. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xiii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xiv. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xv. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xvi. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 03/06/2022 को संपन्न 123वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्य के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि संबंधी (बी-1, पी-2) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2022 द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 26/08/2022 के माध्यम से प्रेषित जानकारी में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्त नहीं होना बताया गया है तथा केवल नाम परिवर्तन हेतु आवेदन करना होगा। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण को **निरस्त किये जाने हेतु** अनुरोध पत्र दिनांक 26/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/09/2022 को भूमि संबंधी (बी–1, पी–2) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक उत्खनन करने के कारण प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी में आने के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र को अमान्य किया गया।
2. भूमि श्री महेश प्रसाद गुप्ता के नाम पर है, उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 282/खनि. शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 द्वारा प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों की जानकारी में वर्ष 2017 में उत्खनन 1910 घनमीटर उल्लेखित है, जबकि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में 1400 घनमीटर उल्लेखित है। उक्त से यह स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 510 घनमीटर अधिक उत्खनन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/280/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 24/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी2' श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित किया जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है:–

"The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The

bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

4. विचाराधीन खदान उत्खनन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the new NOC of gram panchayat for mining.

iv. Project proponent shall submit the consent letter from the land owner.

v. Project proponent shall submit the detail compliance report of previous Environmental Clearance.

vi. Project proponent shall submit the detail proposal of uses of broken bricks & the quantity of coal.

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

ix. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

x. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

xi. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xii. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIAreport by accredited consultants.

xiii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and

Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xiv. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xv. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xvi. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स स्व. बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, अम्बर पी.एम.एस.एस.वाइ., फेज–IV), ग्राम–डिमरापाल, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 1403)

ऑनलाईन आवेदन– प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 174475/ 2020, दिनांक 26/09/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (अम्बर पी.एम.एस.एस.वाइ., फेज–IV) है। यह हॉस्पिटल ग्राम–डिमरापाल, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 81 एवं 82, प्लॉट एरिया–41,558.4 वर्गमीटर में प्रस्तावित बिल्टअप क्षेत्रफल 26,787.27 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रूपये 82 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

7. प्रस्तावित ले–आउट में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सार्थक धामी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम रेलवे स्टेशन जगदलपुर 7.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.2 कि.मी. दूर है। जगदलपुर एयरपोर्ट 9.7 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार शासकीय भूमि रकबा 2.36 हेक्टेयर तथा शासकीय वन भूमि रकबा 2.25 हेक्टेयर है। प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बावत् जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Area Statement	Details (Square meter)	Percentage (%)
1.	Constructed Area (Ground Coverage)	4,232.76	10.19

2.	Open Area	9,260.93	22.27
3.	Parking Area	5,916	14.24
4.	Road and Paved Area	8,422	20.27
5.	Green Belt	13,724.71	33.03
6.	**Total Plot Area**	**41,556.4**	**100**

4. फ्लोर संबंधी विवरण –

Floor	FSI Area (Square meter)	Non - FSI Area (Square meter)
Basement	570.31	40.15
Ground Floor	2,483.88	354.74
First Floor	2,088.36	354.74
Second Floor	2,174.88	354.74
Third Floor	2,088.36	354.74
Fourth Floor	2,484.28	354.74
Fifth Floor	1,943.73	354.74
Sixth Floor	1,691.06	354.74
Seventh Floor	1,620.06	354.74
Eight Floor	1,620.06	354.74
Ninth Floor	1,620.06	354.74
Tenth Floor	1,620.06	354.74
Terrace	-	212.52
Service Block	-	567.42
Total	**22,065.04**	**4,722.23**
Total BUA (FSI+Non-FSI)	**26,787.27**	
Total Plot Area (At Actual)	**41,556.4**	

5. कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 633/न.ग्रा.नि./अनु./2019/2019 जगदलपुर, दिनांक 17/05/2019 द्वारा जारी विकास अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र नगर निगम के कार्य क्षेत्र के बाहर होने के कारण भवन निर्माण की अनुमति कार्यालय कलेक्टर, जिला–जगदलपुर से प्राप्त की गई है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढ़क कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

7. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 518 घनमीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर 273 घनमीटर प्रतिदिन तथा रिसायकल्ड वॉटर 245 घनमीटर प्रतिदिन) की आवश्यकता होगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – दूषित जल की मात्रा 270 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 300 घनमीटर प्रतिदिन एवं इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित होना बताया गया। दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण (ड्राइंग्स), उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं की गई है।
- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

9. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 2,700 के.वी.ए. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2,700 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा।
10. **वृक्षारोपण की स्थिति** – परिसर के चारों ओर तथा पहुंच मार्ग में हरित पट्टिका का विकास क्षेत्रफल 13724.71 वर्गमीटर (कुल क्षेत्रफल का 33.03 प्रतिशत) में किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित ले–आउट के अनुसार परिसर के चारों न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी के विकास का प्रस्ताव नहीं किया गया है।
11. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाएगा। सोलर वॉटर हीटर की स्थापना की जाएगी। लेम्प स्ट्रीटिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाइटिंग सिस्टम प्रस्तावित है।
12. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु संभावित जल की मात्रा की गणना करते हुए पीटों की संख्या सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रकरण हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण का है। प्रस्तावित क्षेत्र से जगदलपुर एयरपोर्ट की हवाई दूरी लगभग 8 कि.मी. है। इस हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज–I की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों/प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. प्रस्तावित ले–आउट में वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जावे। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संग्रहण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जावे।
8. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तद्नुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 348वीं बैठक दिनांक 08/12/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 10/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 358वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बाबत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज–I की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों/प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. प्रस्तावित ले–आउट में वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. से छूट दिये जाने का अनुरोध किया गया है।
6. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संग्रहण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामबाबू, कार्यपालन अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रस्तावित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बावत् जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज-I की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र में से शासकीय वन भूमि रकबा 2.25 हेक्टेयर को घटाकर 0.99 हेक्टेयर क्षेत्र किया गया है। शासकीय वन भूमि 0.99 हेक्टेयर के उपयोग हेतु कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन दिनांक 29/03/2019 द्वारा भूमि प्रदाय की गई है। अतः वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज-I की आवश्यकता नहीं है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर पालिक निगम, जगदलपुर के क्षेत्र से बाहर होने तथा प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग हेतु ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण भवन निर्माण अनुज्ञा कलेक्टर व अध्यक्ष, हाई राईज समिति, जिला-बस्तर का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रस्तावित ले-आउट में वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संग्रहण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन दिनांक 29/03/2019 द्वारा अस्पताल निर्माण हेतु 0.99 हेक्टेयर वन भूमि, पत्र जारी दिनांक से 1 वर्ष हेतु प्रदाय की गई थी, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। अतः वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. मेडिकल कॉलेज के लिए वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र (पुनरीक्षित) को ले-आउट में प्रदर्शित करते हुए (खसरा आदि का उल्लेख करते हुए), न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रस्ताव हेतु संभावित जल संग्रहण की मात्रा की गणना करते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 07/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/का.रा. अ./1582 जगदलपुर, दिनांक 15/04/2021 द्वारा जारी पत्र अनुसार "इस कार्यालय द्वारा अस्पताल निर्माण हेतु वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) खसरा क्रमांक 82, रकबा 0.99 हेक्टेयर राजस्व भूमि दिया गया है, जिसे जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है। चूंकि उपरोक्त भूमि का अधिपत्य निश्चित समयावधि (दिनांक 01/04/2019) में आपके द्वारा कर लिया गया है और वर्तमान समय में भी आपके अधिपत्य में है। अतः उक्त भूमि का नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है।" ऐसा बताया गया है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो रहा की प्रस्तावित परियोजना हेतु खसरा क्रमांक 81 का क्षेत्रफल एवं खसरा क्रमांक 82 का कितना–कितना क्षेत्रफल है तथा उक्त में से कितना क्षेत्रफल वनभूमि एवं राजस्व भूमि के अंतर्गत है? अतः इस संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

2. मेडिकल कॉलेज के लिए वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र (पुनरीक्षित) को ले–आउट में प्रदर्शित करते हुए (खसरा आदि का उल्लेख करते हुए), न्यूनतम 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की कुल संख्या 2,059 नग तथा क्षेत्रफल 1.112 हेक्टेयर का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रथम वर्ष में 1,000 नग, द्वितीय वर्ष में 559 नग एवं तृतीय वर्ष में 500 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

8200	2%	164	**Following activities at**	
			Skill & Economic Development Activities	
			Arrangement for vocational training to interested local youth	8.20
			Computer Literacy and Assistance to Youth SHGs	8.20
			Provision of Market linkage for selling the products through training center	8.20
			Total	**24.60**
			Education facility	
			Donation of computers, books, furniture to village schools	16.40
			Donation of stationary, books, scholarships to needy students	16.40
			Maintenance/Repair of village school buildings	13.12
			Provision of RO System	11.48
			Total	**57.40**
			Solid Waste Management Area	
			Solid Waste Treated Through Septic Tank Via Soak Pit	11.48
			Disposal of solid wastes	9.84
			Total	**21.32**
			Rain Water Harvesting	
			Surface Water / Runoff Harvesting Techniques	9.84
			Rooftop Water Collection / Rainwater Cistern	5.74
			Water Harvesting Pond / Storage Tank	5.74
			Total	**21.32**
			Women empowerment	
			Assistance to Women SHGS	8.20

			Vocational Training	8.20
			Total	**16.40**
			Plantation in Community areas	
			Site Prep. Tree Purchase	8.20
			Tree maintenance Mulching	8.20
			Tree maintenance Watering	6.56
			Total	**22.96**
			Grand Total	**164.00**

4. उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 23,324 घनमीटर है। प्रस्तावित परियोजना हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर विथ बोरवेल (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 5 नग रिचार्ज पिट (व्यास 1.52 मीटर एवं गहराई 3.05 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।
5. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रस्तावित हाई राईज बिल्डिंग के निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ए.के.ए. कन्सलटेंटस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, इंदौर (मध्यप्रदेश) द्वारा दिनांक 10/02/2021 द्वारा जारी पत्र अनुसार **"Under the provision of rule 62(C) (Table 8) of the Chhattisgarh Bhumi Vikash Rules (1984), as per which no NOC is required from airport authority of India (AAI) for the building located more then 2224 M from the nearest Civil Airport and not exceeding the height of 152 M.**

   In this regard, we have obtained a coordinate certificate from Survey of India, Which mentions that the aerial distance between the above mentioned site and the nearest airport is 9.7 KMs. Hence as per the said guidelines we are not required to obtain NOC from AAI." की प्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित परियोजना हेतु खसरा क्रमांक 81 का क्षेत्रफल एवं खसरा क्रमांक 82 का कितना-कितना क्षेत्रफल है तथा उक्त में से कितना क्षेत्रफल वनभूमि एवं राजस्व भूमि के अंतर्गत है? इस संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित परियोजना द्वारा 0.98 हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित निर्माण हेतु उपयोग में ली गई है, वह कौन से खसरे की है? स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए।
4. वास्तव में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित भूमि हेतु ले-आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स गेरवा–2 सेण्ड माईन (प्रो.– श्री गणेश राम श्रीवास), ग्राम–गेरवा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1801)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 227201/2021, दिनांक 07/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–गेरवा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 854/1, कुल क्षेत्रफल – 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हसदो नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 58,582 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 27/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में नगर पालिक निगम कोरबा का दिनांक 01/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4004/खलि–6/2020 कोरबा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3880/खलि–01/रेत गे.(गेरवा 2)/न.क्र. 03/2021 कोरबा, दिनांक 03/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3879/खलि–01/रेत गे.(गेरवा 2)/न.क्र.03/2021 कोरबा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, अस्पताल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री गणेश राम श्रीवास के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2119 खलि–01/रेत गे. (गेरवा 2)/न.क्र.03/2021 कोरबा, दिनांक 24/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/5596 कटघोरा, दिनांक 26/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गेरवा 1 कि.मी. स्कूल ग्राम–गेरवा 3 कि.मी. एवं अस्पताल कोरबा 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38 कि.मी. राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि मे अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नही होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 326 मीटर, न्यूनतम 323 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 279 मीटर, न्यूनतम 272 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 110 मीटर, न्यूनतम 107 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 93 मीटर, न्यूनतम 23 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 56,582 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.19 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 08/08/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। समिति का मत है कि आर.एल. सर्वे रिपोर्ट सहित ग्रिड मेप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
68.27	2%	1.36	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Garva ghat & Anganbadi**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Running Water Facility for Toilets	0.30
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC	0.70
			Total	**1.40**

समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किया जाएगा।

16. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 326 मीटर, न्यूनतम 323 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 93 मीटर, न्यूनतम 23 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 708 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.929 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

18. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा में खनि निरीक्षक के हस्ताक्षरित है, परंतु खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) करवाकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि उक्त के संबंध में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) करवाकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या उपयुक्त स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. आर.एल. सर्वे रिपोर्ट सहित ग्रिड मैप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) करवाकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. श्री गणेश राम श्रीवास के नाम पर है, जो संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 624/खनि 02/रेत(Rule7)/न.क्र.38/1996 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/02/2022 द्वारा वैधता वृद्धि हेतु जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (अर्थात् दिनांक 23/08/2022) हेतु वैध है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर सर्वेयर (Surveyor) के हस्ताक्षर एवं सील सहित सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
3. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) करवाकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.12 मीटर है।
4. सी.ई.आर. के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से रनिंग वॉटर एवं पेय जल हेतु अलग–अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस बाबत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
68.27	2%	1.36	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Gerva ghat & Anganbadi**	
			Running Water Facility for Toilets	0.50
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC in School	0.45
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC in Anganbadi	0.45
			Total	**1.40**

5. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान में 1,500 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 75,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,92,000 रूपये, खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,92,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,59,000 रूपये 5 वर्ष हेतु घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण (खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान) किये जाने हेतु वार्ड क्रमांक–53 नगर निगम कोरबा के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में पार्षद से अनुमति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि नगर निगम आयुक्त की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से वार्ड क्रमांक–53 नगर निगम कोरबा के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त/ जोन कमिश्नर की अनुमति प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. वार्ड क्रमांक–53 नगर निगम कोरबा के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किये जाने हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा का दिनांक 02/09/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र की वैधता दिनांक 23/06/2022 को समाप्त हो गई है। अतः समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स हनुमंत एलॉयज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 881)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 36857/ 2019, दिनांक 27/06/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 36857/ 2019, दिनांक 25/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित प्लाट नम्बर 16 (खसरा क्रमांक 657/2), कुल क्षेत्रफल – 3.95 हेक्टेयर (9.76 एकड़) में स्थापित डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 50 टन प्रतिदिन) से 16,500 टन प्रतिवर्ष (Increase in the no. of days from 300 to 330 days), नए डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 41,250 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 125 टन प्रतिदिन) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 11 करोड़ है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1072, दिनांक 14/11/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इनवायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 416वीं बैठक दिनांक 15/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सौमित अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री राम, महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 50 टन प्रतिदिन) हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 26/11/2021 को जारी की गई है, जो दिनांक 31/11/2022 तक वैध है।
- पूर्व में जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 983, दिनांक 07/06/2022 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –
   - निकटतम आबादी ग्राम–कोनी 800 मीटर एवं शहर बिलासपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम स्कूल एवं अस्पताल सिलपहरी 1.4 कि.मी. तथा निकटतम रेल्वे स्टेशन बिलासपुर 4.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.8 कि.मी. दूर है। अरपा नदी 4.8 कि.मी. एवं गोकेनाला नाला 0.4 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
5. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Existing & Proposed Area (Acre)
	Plant Area	2.10
	Raw material Yard	1.70
	Product Storage Area	1.10
	Solid Waste Storage Yard	0.60
	Internal Roads	0.50
	Green Belt Area	3.25
	Parking Area	0.51
Total		9.76

6. **रॉ–मटेरियल** –

S.No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For New DRI Kiln (Sponge iron) - 41,250 TPA				
1.	Iron Ore	66,000	NMDC, Bailadila/ Bacheli	By rail and road (through covered trucks)
2.	Indian Coal	53,625	SECL, Chhattisgarh/ MCL, Odisha	By rail and road (through covered trucks)
3.	Imported Coal	37,125	Indonesia/ South Africa/ Australia	through Sea route, rail route& by road

4.	Dolomite	2,000	Local Area	By road (through covered trucks)
For DRI Kiln (Sponge Iron) - 16,500 TPA				
1.	Iron Ore	26,400	NMDC, Bailadila/ Bachheli	By rail and road (through covered trucks)
2.	Indian Coal	21,450	SECL, Chhattisgarh/ MCL, Odisha	By rail and road (through covered trucks)
3.	Imported Coal	14,850	Indonesia/ South Africa/ Australia	through Sea route, rail route& by road
4.	Dolomite	825	Local Area	By road (through covered trucks)

प्रस्तावित स्थापित डी.आर.आई. किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष से क्षमता–16,500 टन प्रतिवर्ष करने हेतु कौन–कौन से रॉ–मटेरियल कितनी–कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

7. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

Product	Existing Plant	Proposed Expansion
DRI Kiln (Sponge Iron)	1 X 50 TPD (15,000 TPA)	1 X 50 TPD (15,000 TPA To 16,500 TPA by increase in the no. of operating days from 300 to 330 days)
		1 X 125 TPD (41,250 TPA)
Total production		**57,750 TPA**

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में स्पंज आयरन इकाई (1 X 50 TPD) से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेंचुरी स्क्रबर स्थापित है। पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से स्पंज आयरन इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. एवं 50 मीटर की चिमनी स्थापित किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु स्पंज आयरन इकाई (1 X 125 TPD) से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखने हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. एवं 70 मीटर की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। रॉ–मटेरियल के हेण्डलिंग हेतु वर्तमान में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत वाईब्रेटिंग स्क्रीन को ढका जाएगा एवं सभी कन्वेयर बेल्ट्स को जी.आई. सिट्स से ढका जाकर परिवहन किया जाएगा। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वाईब्रेटिंग स्क्रीन, कन्वेयर बेल्ट्स, फिडिंग पाईप्स आदि से धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बैग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

Waste	Quantity		Method of Disposal
	Existing	Proposed	

Ash from DRI	9	23	Is being given to brick manufacturers (i.e. M/s Chhabra Marble and Tiles Industries) and same practice will be continued after expansion also.
Dolochar	15	38	Is being given to M/s Nutan Ispat & Power Pvt. Ltd. for Power generation and after expansion same practice will be continued.
Kiln Accretion Slag	0.45	1.1	Is being used in road/civil construction & being given to road contractor (i.e. M/s Khetan Buidcon Pvt. Ltd.) and same practice will be continued after the proposed expansion also.
Wet Scrapper sludge	2.3	6	Is being used in road/civil construction & being given to road contractor (i.e. M/s Khetan Buidcon Pvt. Ltd.) and same practice will be continued after the proposed expansion also.

10. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 20 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन) जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 60 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 50 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 60 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 27/01/2021 से 26/01/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है। साथ ही आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड से अनुमति प्राप्त किये जाने बाबत् आवेदन किया गया है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – स्पंज आयरन प्लांट से दूषित जल उत्पन्न होगा। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमी क्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है. केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical assessment unit में स्थापित इकाईयाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को भू-जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरूप उद्योग को औद्योगिक कार्य हेतु भू-जल दोहन की अनुमति नहीं होगी। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 2 नग रिचार्ज पिट (त्रिज्या 1 मीटर एवं गहराई 2 मीटर) निर्मित किया गया है। उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 22,019 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुल 5 नग रिचार्ज पिट (त्रिज्या 2 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत गणना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट का उपयोग किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 3.25 एकड़ (34.8 प्रतिशत) क्षेत्र में 800 नग प्रति एकड़ पौधे 15 मीटर से 42 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है। साथ ही ओपन एरिया में भी हरियाली निर्मित किया जाना आवश्यक है।

13. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	22.1	38.9	60
PM_{10}	36.5	64.8	100
SO_2	10.1	16.2	80
NO_2	12.6	21.2	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47	70	75
Night L_{eq}	37	54	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 15,002 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 220.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 15,222.5 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता 20,000 पी.सी.यू. प्रतिदिन (IRC:73-1980) के भीतर है।

14. लोक सुनवाई दिनांक 08/10/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 30/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् शासकीय नवीन प्राथमिक शाला ग्राम–कोरमी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–हरदीकला, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–हरदीकला, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–हरदीकला, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धुमा, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–रायतारा, आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम–कोरमी एवं शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–सिलपहरी में आवश्यकतानुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, ड्रिंकिंग वॉटर व्यवस्था, रनिंग वॉटर फेसिलिटी, वृक्षारोपण कार्य एवं बोरवेल के कार्य किये जाने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् राशि का उपयोग परियोजना के आस–पास के ग्राम में ईको पार्क निर्माण हेतु प्रस्ताव कार्य योजना सहित प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तावित स्थापित डी.आर.आई. किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष से क्षमता–16,500 टन प्रतिवर्ष करने हेतु रॉ–मटेरियल बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान (KML फाईल सहित) प्रस्तुत किया जाए।
5. वर्तमान में स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इकाई से प्रदूषण भार की विस्तृत गणना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु विस्तृत गणना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का विस्तृत सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
7. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य की सुविधानुसार तालिकाबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया जाए।
8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
9. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized Affidavit) जमा किया जाए।
10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् राशि का उपयोग परियोजना के आस–पास के ग्राम में पर्यावरण सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव कार्य योजना सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 426वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तावित स्थापित डी.आर.आई. किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता–15,000 टन प्रतिवर्ष से क्षमता–16,500 टन प्रतिवर्ष करने हेतु मटेरियल बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत की गई है–

Input	
Item	**Quantity (Tonnes/Year)**
Iron Ore	26,400
Coal (Indian)	21,450
Dolomite	825
Total	**48,675**
Output	
Item	**Quantity (Tonnes/Year)**

Sponge Iron	16,500
Dolochar	4,950
Ash/Dust from Bag filters	2,970
Wet Scrapper Sludge	759
Accretion slag	148
Flue Gases	23,348
Total	**48,675**

2. प्रेषित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेख किया गया कि आवेदित उद्योग सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन क्रमांक/सीएसआईडीसी/भू.आ./2022/5198 रायपुर, दिनांक 05/09/2022 को इकाई मेसर्स हनुमंत एलॉयस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के प्रमाणीकरण के संबंध में जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है।

3. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्लाट नम्बर 14 (खसरा क्रमांक 687/2), कुल क्षेत्रफल – 3.96 हेक्टेयर (9.78 एकड़) हेतु जारी लीज डीड की प्रति प्रेषित की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 16/01/2103 तक है।

4. वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षो का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण को दर्शाते हुये ले–आउट प्लान (KML फाईल सहित) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
उद्योग परिसर के भीतर कुल क्षेत्रफल के 3.25 एकड़ क्षेत्र में (1,626 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	1,53,750	1,18,300	22,600	24,860	–
	रख–रखाव हेतु राशि	1,83,500	1,96,350	1,83,553	2,01,897	2,13,758
कुल राशि = 12,98,568		**3,37,250**	**3,14,650**	**2,06,153**	**2,26,757**	**2,13,758**
उद्योग परिसर के बाहर ग्राम पंचायत सिलपहरी द्वारा सहमति प्राप्त स्कूल ग्राम–सिलपहरी में कुल क्षेत्रफल के 1 एकड़ क्षेत्र में (750 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	1,02,500	18,200	15,000	16,500	–
	रख–रखाव हेतु राशि	1,71,000	1,66,100	1,81,235	1,99,351	2,13,768
कुल राशि = 10,83,644		**2,73,500**	**1,84,300**	**1,96,235**	**2,15,851**	**2,13,758**

5. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. वर्तमान में स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यविस्तार उपरांत इकाई से प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:–

Annual Emission Loads (Tons/year)			
Parameter	Existing	Expansion	After Expansion
PM	5.59	15.51	21.10
SO_2	256.61 (9.0 gm/sec)	858.21 (30.1 gm/sec)	1,114.82
NO_x	39.92 (1.4 gm/sec)	111.20 (3.9 gm/sec)	151.12

7. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु विस्तृत गणना प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 12,760 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 4 मीटर, गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। साथ ही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

8. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. उद्योग की स्थापना से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। सड़कों में चलना मुश्किल हो गया है, किसानों के फसल बहुत बरबाद हो रहे हैं।

   ii. उद्योग से प्रभावित क्षेत्र सिलपहरी एवं हरदी में सी.एस.आर. का अधिक से अधिक उचित उपयोग किया जाए।

   iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

   i. प्रस्तावित क्षमता विस्तार में प्रदूषण की रोकथाम हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सुझाये गये मानदण्डों के पालन हेतु उपाय किया जाना प्रस्तावित है। दोनों किल्नों में ई.एस.पी. की स्थापना की जाएगी। सभी कन्वेयर बेल्ट जी.आई. शीट्स द्वारा पूर्णतः ढके होंगे। ई.एस.पी. में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। परिसर में लगभग 3.4 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है तथा भविष्य में इसमें वृद्धि कर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। मानकों के पालन हेतु सभी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना तथा सतत संचालन किया जाएगा।

   ii. ग्राम सिलपहरी एवं हरदी में सामाजिक तथा अधोसंरचना के विकास कार्य किये जाएंगे।

8. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 05/09/2022 के बिन्दु क्रमांक 5 में "That the company will give priority in employment of local peoples as per their qualification as per commitment given in Public Hearing and Chhattisgarh Government Policy." का उल्लेख है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 05/09/2022 के बिन्दु क्रमांक 6 में "That we will strictly follow the timeframe so as to close/ comply the issue the raised during Public Hearing." का उल्लेख है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् राशि का उपयोग परियोजना के आस-पास के ग्राम में पर्यावरण सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव कार्य योजना सहित प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1100	1%	11	Following activities at, **Village-Hardikala**	
			Pavitra Van Nirman	12.95

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार

(1) प्रथम वर्ष में 1,050 नग पौधों के लिए राशि 2,15,250 रूपये, रख-रखाव के लिए राशि 1,98,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,13,750 रूपये,

(2) द्वितीय वर्ष में लगभग 210 नग मृत पौधों हेतु प्रतिस्थापित (Mortality replacement) राशि 38,220 रूपये, रख-रखाव के लिए राशि 1,72,150 रूपये, इस प्रकार द्वितीय वर्ष में कुल राशि 2,10,370 रूपये,

(3) तृतीय वर्ष में लगभग 158 नग मृत पौधों हेतु प्रतिस्थापित (Mortality replacement) राशि 31,600 रूपये, रख-रखाव के लिए राशि 1,86,298 रूपये, इस प्रकार तृतीय वर्ष में कुल राशि 2,17,898 रूपये,

(4) चतुर्थ वर्ष में लगभग 158 नग मृत पौधों हेतु प्रतिस्थापित (Mortality replacement) राशि 34,760 रूपये, रख-रखाव के लिए राशि 2,04,912 रूपये, इस प्रकार चतुर्थ वर्ष में कुल राशि 2,39,672 रूपये,

(5) पंचम वर्ष में रख-रखाव के लिए राशि 2,13,758 रूपये,

इस प्रकार 5 वर्ष में कुल राशि 12,95,448 रूपये हेतु पंचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत हरदी कला (टोना) की सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 21/5(ए), क्षेत्रफल 5 एकड़ में से 2.5 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स हनुमंत एलॉयज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड को सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित प्लाट नम्बर 18 (खसरा क्रमांक 657/2), कुल क्षेत्रफल – 3.95 हेक्टेयर (9.76 एकड़) में स्थापित डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 50 टन प्रतिदिन) से 16,500 टन प्रतिवर्ष (increase in the no. of days from 300 to 330 days), न्यू डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 41,250 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 125 टन प्रतिदिन) (कुल क्षमता–57,750 टन प्रतिवर्ष) हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स कोट आर्डिनरी स्टोन माईन्स (प्रो.– श्रीमती रूचि जायसवाल), ग्राम–कोट, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1879)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 284836/2022, दिनांक 31/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोट, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 254 एवं 255, कुल क्षेत्रफल–1.81 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता – 9,975.84 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अरूण कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**
   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 254 एवं 255, कुल क्षेत्रफल – 1.81 हेक्टेयर, क्षमता–9,975.84 टन (3,695 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 30/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई थी।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण,

वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1480/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	657
2018	1,238
2019	3,305
2020	2,700
2021	2,048

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सल्हीगहना का दिनांक 14/04/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 20/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 04/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1481/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.62 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1482/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, नलघाट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती रूचि जायसवाल के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/04/2017 से 06/04/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1246 बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/05/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. दूर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोट 900 मीटर, स्कूल ग्राम–कोट 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बैकुण्ठपुर 7.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.7 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं बन्जुहारी नाला 1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – पूर्व में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,44,350 टन (90,500 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 1,09,222 टन (40,452 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 98,300 टन (36,407 घनमीटर) था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,14,515 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 71,448 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,288.88 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,505.48 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	9,517.84	षष्ठम	9,975.84
द्वितीय	9,975.84	सप्तम	9,975.84
तृतीय	9,975.84	अष्टम	9,975.84
चतुर्थ	9,975.84	नवम	9,975.84
पंचम	9,975.84	दशम	9,975.84

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.91 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत एवं भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,054 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें से वर्तमान में 350 नग पौधे का रोपण किया गया है। शेष 704 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 35,200 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 65,900 रूपये, खाद के लिए राशि 52,700 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,10,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,63,800 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 10,42,800 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
9.98	2%	0.20	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village-Kot**	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.25
			Running Water Facility for Toilet	0.18
			Total	**0.43**

16. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में "भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F.No.IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), दिनांक 08/08/2022 के अनुसार सिर्फ वर्तमान में विद्यमान किसी पर्यावरण स्वीकृति के क्षमता विस्तार से संबंधित प्रकरणों में सर्टिफाईड कंप्लायंस रिपोर्ट लिया जाना अनिवार्य किया गया है।" का उल्लेख है। समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F.No.IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), दिनांक 08/08/2022 के अनुसार क्षमता विस्तार के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में सर्टिफाईड कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं लिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

8. **मेसर्स जोगीनवांगांव प्लाट लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री सत्यजीत सिंह), ग्राम–जोगीनवांगांव प्लाट, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1886)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/247207/2021, दिनांक 24/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोगीनवांगांव प्लाट, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 30/25 एवं 30/38, कुल क्षेत्रफल–1.186 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–15,398 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 19/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सत्यजीत सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भौंदा का दिनांक 07/03/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान इन्क्लयूडिंग मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खि.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2710/2/खनि/चूनापत्थर/उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 619/ख.लि./खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 22/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.619 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 618/खा.लि./खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 22/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 501/खा.लि./खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 20/08/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 30/38 श्रीमती प्रतिमा सिंह एवं खसरा क्रमांक 30/26 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, जिला–कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4323 कवर्धा, दिनांक 31/05/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6–8 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–जोगीनवागांव 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–जोगीनवागांव 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल कबीरधाम 20.40 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.2 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 80 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,04,080 टन, माईनेबल रिजर्व 1,49,437 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,46,448 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,200 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर एवं मात्रा 1,678.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,152 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष 241.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित किया जाएगा। ओवर बर्डन की मोटाई 0.7 मीटर एवं मात्रा 3,916.5 घनमीटर है, आवश्यकतानुसार ओवर बर्डन को रैम्प एवं हॉल रोड बनाने में उपयोग किया जायेगा तथा शेष ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया

जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,043	षष्टम	15,251
द्वितीय	15,019	सप्तम	15,068
तृतीय	15,215	अष्टम	14,994
चतुर्थ	15,068	नवम	15,031
पंचम	15,398	दशम	10,384

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.18 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 638 नग वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें पौधों के लिए राशि 32,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 31,950 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 2,00,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,13,950 रूपये एवं रख–रखाव के लिए आगामी 4 वर्षों तक राशि 3,87,500 रूपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र**– लीज क्षेत्र से बरसाती नाला 50 मीटर दूर है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लीज क्षेत्र में 3,085 वर्गमीटर क्षेत्र को बरसाती नाला की तरफ गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16.96	2%	0.34	Following activities at, Government Primay School **Village- Khumunda**	
			Drinking Water filter Facility with AMC	0.25
			Environmental Library	0.20
			Plantation with fencing	0.30
			Total	**0.75**

18. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 619/ख. लि./खनिज/उ.प./2021 कबीरधाम, दिनांक 22/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अतिरिक्त 1 खदान, क्षेत्रफल 1.619 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–जोगीनवागांव प्लाट) का क्षेत्रफल 1.186 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–जोगीनवागांव प्लाट) को मिलाकर क्षेत्रफल 2.805 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स जोगीनवागांव प्लाट लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री सत्यजीत सिंह) को ग्राम–जोगीनवागांव प्लाट, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 30/25 एवं 30/38 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.186 हेक्टेयर, क्षमता – 16,398 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 03/06/2022 को संपन्न 123वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि–

1. लीज क्षेत्र से 50 मीटर दूर बरसाती नाला होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से लीज क्षेत्र में 3,085 वर्गमीटर क्षेत्र को बरसाती नाला की तरफ गैर माईनिंग क्षेत्र में ओव्हर बर्डन को भण्डारित कर संधारित किये जाने का प्रस्ताव माईनिंग प्लान में दिया गया है। प्राधिकरण का मत है कि बरसाती नाला को सुरक्षित रखने एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव मंगाया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, जिला–कवर्धा के ज्ञापन दिनांक 31/05/2021 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 5–6 कि.मी. की दूरी पर होना बताया गया है, उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आवेदित खदान से वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी कितनी है?

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. बरसाती नाला को सुरक्षित रखने एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. बरसाती नाला को सुरक्षित रखने एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 639 नग वृक्षारोपण तथा गैर माईनिंग क्षेत्र में 340 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, इस प्रकार बरसाती नाला को सुरक्षित रखने हेतु कुल 979 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव हेतु		75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
खदान के बाउण्ड्री एवं गैर माईनिंग क्षेत्र (979 नग) वृक्षारोपण हेतु राशि	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	30,000	7,800	7,800	7,800	7,800
	फेंसिंग हेतु राशि	55,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000	2,10,000
रैम्प एवं हॉल रोड के रख–रखाव हेतु राशि		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
खदान के श्रमिकों हेतु		65,000	40,000	40,000	40,000	40,000

एक्टिविटी हेतु राशि					
कुल राशि = 20,60,000	**5,00,000**	**3,90,000**	**3,90,000**	**3,90,000**	**3,90,000**

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./7630 कवर्धा, दिनांक 24/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 5.8 कि.मी. की दूरी पर है।

3. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र की वैधता दिनांक 19/09/2022 को समाप्त हो गई है। अतः समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री परेश कुमार), ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 930)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40346/ 2019, दिनांक 31/07/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40346/ 2019, दिनांक 02/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–294, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र जोगेवार, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सोल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन पण्डा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा

तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सोल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सोल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सोल्यूशन का होना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

   ii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1638/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 27/08/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (टन)
जनवरी 2006 से दिसंबर 2006 तक	निरंक
जनवरी 2007 से दिसंबर 2007 तक	250
जनवरी 2008 से दिसंबर 2008 तक	2,000
जनवरी 2009 से दिसंबर 2009 तक	1,250
जनवरी 2010 से दिसंबर 2010 तक	निरंक
जनवरी 2011 से दिसंबर 2011 तक	4,000
जनवरी 2012 से दिसंबर 2012 तक	500
जनवरी 2013 से दिसंबर 2013 तक	निरंक
जनवरी 2014 से दिसंबर 2014 तक	2,000
जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 तक	1,000

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बान्देपुर का दिनांक 31/08/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (विथ इन्वायरोमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खि.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर ज्ञापन क्रमांक 3870/खनि 02/मा.प्ला. अनुमोदन/न.क्र.06/2019 नवा रायपुर, दिनांक 16/06/2020 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान–** कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4266/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 13.341 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1712/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 10/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक

श्मशान, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिया, स्कूल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री परेश कुमार के नाम पर थी। लीज अवधि 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/11/2005 से 02/11/2015 तक की अवधि हेतु थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1013/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 11/06/2020 द्वारा "छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय का आदेश दिनांक 12/06/2020 अनुसार गौण खनिज चूना पत्थर की उत्खनिपट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22/12/2014 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 तथा संशोधित के नियम 38 क के अनुसार गुणदोष के आधार पर निराकरण किया जाना है। संचालनालय द्वारा पट्टा अवधि विस्तार हेतु जारी निर्देश दिनांक 08.08.2018, के अनुसार नियम 38 (क) के तहत् नवीकरण आवेदन एवं पर्यावरण सम्मति के अभाव में अवधि विस्तार पूरक अनुबंध निष्पादन नहीं किया जा सकता। अतएव पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।" का उल्लेख है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 25/2066 खैरागढ़, दिनांक 07/07/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 4.1 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कलकसा 0.9 कि.मी., स्कूल ग्राम–बल्देवपुर 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.2 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,26,400 टन, माईनेबल रिजर्व 2,82,156 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,58,928 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,198 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,720 घनमीटर है, जिसमें से 3,100 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में तथा शेष 3,620 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 525/5) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	20,000
पंचम	20,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (धूल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। इस बाबत् भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 775 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 15,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,28,400 रूपये, खाद के लिए राशि 5,820 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,80,400 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,28,120 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 4,85,632 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,198 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 3,200 वर्गमीटर क्षेत्र 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.(i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

ii. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

iv. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:-

Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m³)	Maximum (µg/m³)	CPCB Standard (µg/m³)
$PM_{2.5}$	25.32	44.77	60
PM_{10}	47.22	67.15	100
SO_2	7.24	14.68	80
NO_2	11.31	20.33	80

v. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

vi. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	47.89	54.87	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

vii. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 9 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 57 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। लीज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारों तरफ तार काटों का घेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5–7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े तो खेत में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सूचना नहीं दी जाती है, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।

iii. खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतो में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारो तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हूटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।

iii. हमारे द्वारा नालियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। ग्रामिणों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवित दर) हेतु राशि	49,340	4,940	4,940	4,940	4,940
3.7 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	फेंसिंग हेतु राशि	34,76,700	–	–	–	–
3.7 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	5,94,072	3,41,812	3,41,812	3,41,812	3,41,812
कुल राशि		41,20,112	3,46,752	3,46,752	3,46,752	3,46,752

कॉमन इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
300 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (200 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवित दर) हेतु राशि	4,000	400	400	400	400
	फेंसिंग हेतु राशि	2,90,000	—	—	—	—
	खाद, सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,02,700	1,68,470	1,68,470	1,68,470	1,68,470
कुल राशि		**4,96,700**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

 समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

 समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.45	2%	1.0	Following activities at nearby **Village-Kakasa**	
			Pavitra Van Nirman	10.14
			Total	**10.14**

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 16,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,66,100 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,72,800 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,60,900 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,53,920 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बल्देवपुर की सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 153, रकबा 0.46 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जावे कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करवाकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

5. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत "खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।" यह शिकायत अत्यंत गंभीर प्रवृति की है। जिसका समाधान कारक उत्तर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं

दिया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक संबंधित ग्राम पंचायत/जल संसाधन विभाग से जांच उपरांत प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

6. उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर बताई गई है। अतः जल स्त्रोत की गहराई के संबंध में आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

7. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022-

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. लीज क्षेत्र में 3,100 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में तथा शेष 3,820 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 525/5, रकबा 1.1315 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखे जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करवाकर शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत की गई है।

3. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत के संबंध में ग्राम पंचायत कलकसा द्वारा जारी पत्र अनुसार गांव एवं बांध खदान से 500 मीटर की दूरी पर है एवं नहर नाली का संधारण बरसात के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। गांव में बांध किसी खदान पर प्रवेश नहीं करती है। इस संबंध में ग्राम पंचायत कलकसा द्वारा जनसुनवाई के दौरान यह शिकायत दुर्भावनावश की गई है, का लेख किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से निरीक्षण कराने हेतु लेख किया जाए।

4. ग्राम पंचायत कलकसा द्वारा जारी पत्र अनुसार भू–जल स्तर की गहराई 150 से 200 फीट के उपरांत है।

5. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–स्तरीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित

किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4266/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 13.341 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कलकसा) का क्षेत्रफल 1.214 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कलकसा) को मिलाकर कुल खदानों का क्षेत्रफल 14.555 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री परेश कुमार) की ग्राम–कलकसा, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–254 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर, क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती अकमा जोगेवार), ग्राम–कलकसा, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1274)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 127794/ 2019, दिनांक 26/03/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 72087/ 2020, दिनांक 04/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक –252, कुल क्षेत्रफल–0.88 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 10,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/12/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र जोगेवार, अधिकृत प्रतिनिधि एवं मेसर्स पी एण्ड एम सोल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही

को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन का होना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 252, कुल क्षेत्रफल – 0.85 हेक्टेयर, क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/06/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4358/खा.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 06/11/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2008–09	1,690	2014–15	निरंक
2009–10	1,920	2015–16	
2010–11	2,450	2016–17	
2011–12	1,895	2017–18	3,900
2012–13	3,550	2018–19	2,900
2013–14	400	2019–20	2,600

v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of

validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control"

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। जिससे समिति सहमत हुई।

vi. इस संबंध में समिति का मत है कि मार्च 2020 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कलेवापुर का दिनांक 27/12/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलौंग विथ इन्वायरोमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./छ.लि./तीन-6/2017/3534 रायपुर, दिनांक 07/03/2017 द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि टी.ओ.आर. के दौरान संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4268/खा.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 6.367 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1661/खा.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 06/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती अरुणा जोगेवार के नाम पर थी। लीज डीड 3 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/11/1992 से 19/11/1995 तक की अवधि हेतु थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 20/11/1995 से 19/11/1998 तक की अवधि हेतु, द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 20/11/1998 से 19/11/2008 तक की अवधि हेतु एवं तृतीय नवीनीकरण दिनांक 20/11/2008 से 19/11/2013 तक की अवधि हेतु किया गया था। तत्पश्चात् लीज डीड में 9 वर्षों की दिनांक 20/11/2013 से 19/11/2022 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र.

25/2298 धौरागढ़, दिनांक 01/07/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 4.05 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कलकत्ता 900 मीटर, स्कूल ग्राम–बल्देवपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल धौरागढ़ 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.2 कि.मी. दूर है। अमनेर नदी 4.8 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,55,000 टन, माईनेबल रिजर्व 87,180 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 83,460 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,079 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर थी, जिसे पूर्व में ही उत्खनित कर लिया गया है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी उपस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार वास्तविक उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2017–18	10,000	3,600
2018–19	10,000	2,900
2019–20	10,000	2,600
2020–21	10,000	7,100
2021–22 (दिनांक 31/12/2021)	10,000	2,900

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,000
द्वितीय	10,000
तृतीय	10,000
चतुर्थ	10,000
पंचम	10,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की

उपयोगिता हेतु केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	76,000	7,600	7,600	7,600	7,600
	फेंसिंग हेतु राशि	1,26,900	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	7,500	750	750	750	750
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,46,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 13,53,800		**4,56,400**	**2,24,350**	**2,24,350**	**2,24,350**	**2,24,350**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,079 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्वी दिशा में 412.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, पश्चिमी दिशा में 1,125 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक, उत्तरी दिशा में 990 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिणी दिशा में 240 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 80,100/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/06/2022 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 80,100/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–

Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m³)	Maximum (µg/m³)	CPCB Standard (µg/m³)
$PM_{2.5}$	25.32	44.77	60
PM_{10}	47.22	87.16	100
SO_2	7.24	14.68	80
NO_2	11.31	20.33	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	47.89	54.87	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में **48** पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 54 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती हैं, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।

अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:—**

i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। लीज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारों तरफ तार कांटो का घेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5–7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े जो खेत में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सूचना नहीं दी जाती है, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।

iii. खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके हैं। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:—

i. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारो तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हूटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।

iii. हमारे द्वारा नालियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामीणों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:—

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,98,292	18,772	18,772	18,772	18,772
	फेंसिंग हेतु राशि	19,73,600	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	18,600	1,860	1,860	1,860	1,860
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	13,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000
कुल राशि = 70,93,020		**35,54,492**	**8,84,632**	**8,84,632**	**8,84,632**	**8,84,632**

कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
227 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (161 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	11,476	1,140	1,140	1,140	1,140
	फेंसिंग हेतु राशि	1,20,800	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	1,200	120	120	120	120
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	83,081	53,081	53,081	53,081	53,081
कुल राशि = 4,33,921		**2,16,557**	**54,341**	**54,341**	**54,341**	**54,341**

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कार्रवाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at nearby, **Village-Kalkasa**	
			Pavitra Van Nirman	10.14
			Total	**10.14**

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 768 नग पौधों के लिए राशि 27,648 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,49,648 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,488 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कलकसा के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 0.48 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि वर्तमान में प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें होना बताया गया है जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें क्लस्टर में आती है। अतः समिति का मत है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. मार्च 2020 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. टी.ओ.आर. के दौरान संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।

4. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनर्भराव कार्य में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

9. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

10. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

11. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत ''खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।'' यह शिकायत अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति की है। जिसका समाधान कारक उत्तर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं दिया गया है। अतः इस संबंध में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 26/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई के ज्ञापन क्रमांक /4/ख.लि.22/2022, दिनांक 13/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2020–21	8,400
2021–22	10,000

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities

relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए **Environment Compensation** की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. मॉडिफाईड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित मॉडिफाईड क्वारी प्लान में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित मॉडिफाईड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1574/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 17/06/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 13.321 हेक्टेयर है।

5. ऊपरी मिट्टी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह पूर्व से संचालित खदान है, लीज क्षेत्र के भीतर वर्तमान में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। पूर्व में उत्खनित ऊपरी मिट्टी का उपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जा चुका है।

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. पूर्व में किये गए वृक्षारोपण की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है। पौधों का संख्यांकन (**Numbering**) एवं पौधे का नामकरण नहीं किया गया है साथ ही इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खदान प्रारंभ होने उपरांत पौधों

का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे का नामकरण कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाएगा।

8. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

10. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत के संबंध में ग्राम पंचायत कलकत्ता द्वारा जारी पत्र अनुसार गांव एवं बांध खदान से 500 मीटर की दूरी पर है एवं नहर नाली का संधारण बरसात के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। गांव में बांध किसी खदान पर प्रवेश नहीं करती है। जनसुनवाई के दौरान यह शिकायत दुर्भावनावश की गई है। साथ ही ग्राम पंचायत कलकत्ता द्वारा जारी पत्र अनुसार भू-जल स्तर की गहराई 150 से 200 फीट के उपरांत है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में जल संसाधन विभाग से निरीक्षण कराने हेतु लेख किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नया रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. मॉडिफाईड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रश्नाधीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।
6. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत के संबंध में ग्राम पंचायत कलकत्ता द्वारा जारी पत्र अनुसार गांव एवं बांध खदान से 500 मीटर की दूरी पर है एवं नहर नाली का संधारण बरसात के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। गांव में बांध किसी खदान पर प्रवेश नहीं करती है। जनसुनवाई के दौरान यह शिकायत दुर्भावनावश की गई है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में जल संसाधन विभाग से निरीक्षण कराकर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने हेतु लेख किया जाए।

7. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

जल संसाधन विभाग को पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को तद्नुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनिंदर सिंह गरचा), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1081ए)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42860/ 2019, दिनांक 18/10/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42860/ 2019, दिनांक 09/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक – 108/2 एवं 3, कुल क्षेत्रफल–0.608 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–14,625 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2020 द्वारा प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) गौण खनिज माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तद्नुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनिंदर सिंह गरचा, प्रोपराईटर एवं मेसर्स पी एण्ड एम सोल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सोल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सोल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सोल्यूशन का होना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 106/2 एवं 106/3, कुल क्षेत्रफल–0.808 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–14,625 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1341/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
अगस्त 2009 से दिसंबर 2009	551	जनवरी 2017 से दिसंबर 2017	570
जनवरी 2010 से दिसंबर 2010	2,057	जनवरी 2018 से दिसंबर 2018	649
जनवरी 2011 से दिसंबर 2011	2,130	जनवरी 2019 से दिसंबर 2019	1,339
जनवरी 2012 से दिसंबर 2012	1,650	जनवरी 2020 से जून 2020	7,700
जनवरी 2013 से दिसंबर 2013	6,050	जुलाई 2020 से दिसंबर 2020	निरंक
जनवरी 2014 से अगस्त 2014	17,600	जनवरी 2021 से जून 2021	625
सितंबर 2014 से दिसंबर 2016	निरंक	जुलाई 2021 से दिसंबर 2021	निरंक

अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018	180	जनवरी 2022 से मार्च 2022	3,800

v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है।

vi. समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सुमनकीककना का दिनांक 22/02/2003 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाइड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो कि संयुक्त संचालक (खा.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 843/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1342/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 38.318 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – समिति का मत है कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज श्री मनिंदर सिंह भल्ला के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 18/08/2009 से 17/08/2014 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्ष अर्थात् दिनांक 18/08/2014 से 17/08/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10–2/2019/13198 राजनांदगांव, दिनांक 24/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र में ग्राम चवेली का उल्लेख है। अतः ग्राम कुमरदीहखला, तहसील व जिला–राजनांदगांव तथा खसरा नम्बर सहित आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–टेलकाडीह 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–टेलकाडीह 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल टेलकाडीह 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.8 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,64,800 टन, माईनेबल रिजर्व 1,18,822 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 81,583 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,082 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,540 घनमीटर है, जिसे पूर्व में ही उत्खनित कर लिया गया है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,500	षष्ठम	8,500
द्वितीय	8,500	सप्तम	8,500
तृतीय	8,500	अष्ठम	8,500
चतुर्थ	8,500	नवम	8,500
पंचम	8,500	दशम	8,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 328 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (328 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	24,928	2,508	2,508	2,508	2,508
	फेंसिंग हेतु राशि	41,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	2,460	240	240	240	240
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,46,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 11,89,380		**3,14,388**	**2,18,748**	**2,18,748**	**2,18,748**	**2,18,748**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,082 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्वी दिशा में 130 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक, पश्चिमी दिशा में 630 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, उत्तरी दिशा में 130.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिणी दिशा में 472.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान में किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 1,01,000/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2022 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 1,01,000/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 12 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 12 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (μg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (μg/m^3)**	**Maximum (μg/m^3)**	**CPCB Standard (μg/m^3)**
$PM_{2.5}$	21.39	40.45	60
PM_{10}	42.65	65.33	100
SO_2	5.09	9.87	80
NO_2	9.48	15.95	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	43.2	61.1	75
Night L_{eq}	37.9	54.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 73 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.06 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.07 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excelent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 17/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम – कुमरडीहकला, तहसील व जिला – राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है।

अतः कुल 17 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे डाल दिया जाता है एवं 7 एकड़ भूमि पर मिट्टी डाल दिया गया है। गांव में मवेशियों के लिये चारा नहीं बचता है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरार आ जाती है। ब्लास्टिंग के समय घरेलू में चलना दुर्भर होता है, ब्लास्टिंग करने के दौरान सड़क बंद कर दिया जाता है।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों को जरूरत की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। क्रशर सड़क से लगा हुआ है, उसके चलने के कारण कई एक्सीडेंट हो चुके है, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

iv. गांव के पास शासकीय भूमि का अवैध रूप से उत्खनन किया जाता है। वृक्षारोपण तथा जल छिड़काव का कार्य भी नहीं किया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे नहीं डाला जाएगा, उसे खदान के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हूटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को कम नुकसान या परेशानी नहीं होगी।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

iv. माईनिंग प्लान के अनुसार ही उत्खनन कार्य किया जाएगा। खदान के बाउण्ड्री तथा हॉल रोड में वृक्षारोपण का कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा। वृक्षारोपण एवं धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए सड़क पर दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
4.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (3,133	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,38,108	23,788	23,788	23,788	23,788
	फेंसिंग हेतु राशि	25,06,400	–	–	–	–

नग) वृक्षारोपण हेतु	खाद हेतु राशि	27,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	18,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000
कुल राशि = 88,78,660		**44,51,508**	**11,06,788**	**11,06,788**	**11,06,788**	**11,06,788**

कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी–

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
123 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (82 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	6,232	608	608	608	608
	फेंसिंग हेतु राशि	65,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	600	60	60	60	60
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	32,745	27,745	27,745	27,745	27,745
कुल राशि = 2,18,829		**1,05,177**	**28,413**	**28,413**	**28,413**	**28,413**

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 31 खदानें आती है, जिनमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः 17 खदानें ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कार्य किये जाने हेतु प्रस्तावित है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त 17 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से सी.ई.आर. के अंतर्गत (1) गांव के पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण (2) श्मशान घाट के चारों तरफ 10 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण (3) बड़े तालाब पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण कार्य किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुम्हारीहकला के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (क्रमशः खसरा क्रमांक 802, 816/2, 804, क्षेत्रफल 0.635

हेक्टेयर, 0.324 हेक्टेयर, 0.267 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है तथा सी.ई.आर. के अंतर्गत 17 खदानों हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

(1) टेलवाडीह तालाब से ग्राम डुमरडीहकला के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (कुल लम्बाई 1.4 कि.मी.) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए 76,000 राशि रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 4,16,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,99,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,87,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(2) श्मशान घाट के चारों तरफ 10 मीटर की चौड़ी पट्टी (क्षेत्रफल 3,240 वर्गमीटर) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 72 नग पौधों के लिए राशि 8,352 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 67,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,980 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,23,332 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,68,180 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

(3) बड़े तालाब (क्षेत्रफल 9,020 वर्गमीटर) पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 11,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,750 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,60,350 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,69,740 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.5	Following activities at nearby, **Village-Dumardihkala**	
			Plantation with fencing in periphery of village pond area	11.91
			Total	**11.91**

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त कार्यों में से सी.ई.आर. के अंतर्गत बड़े तालाब (क्षेत्रफल 7,800 वर्गमीटर) पर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 11,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,750 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 37,477 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,31,827 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 95,648 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जावे कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्सम्बंध सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. विगत वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य) में किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. ग्राम कुम्हलीकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव तथा खसरा नम्बर सहित आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनर्भराव कार्य में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाए।
9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

11. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनर्नीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।

12. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

13. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. विगत वर्ष (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के मध्य) में किये गये उत्खनन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह पूर्व से संचालित खदान है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्ति के पश्चात् खनिज विभाग के आदेशानुसार ही खनन कार्य किया गया है।

   समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 29/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in

accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   d) Damage Assessment
   e) Remedial Plan and
   f) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarentee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं मदवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुसमीकलां का दिनांक 22/02/2003 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है के संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र

स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित कराकर जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10–2/2019/9086 राजनांदगांव, दिनांक 04/07/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

6. लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 343, रकबा 0.518 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. पूर्व में किये गए वृक्षारोपण की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये गए है। पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे का नामकरण नहीं किया गया है साथ ही इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खदान प्रारंभ होने उपरांत पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे का नामकरण कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाएगा।

9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

11. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

12. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये जवाब अनुसार कार्य किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) का अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रश्नाधीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।
5. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

13. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री पवन वाधवा), ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1010)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42630, दिनांक 08/11/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 73613/ 2020, दिनांक 07/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुमरदीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक–23, कुल क्षेत्रफल–0.631 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–18,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पवन शर्मा, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन का होना बताया गया।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 23, कुल क्षेत्रफल–0.631 हेक्टेयर, क्षमता–18,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1394/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 06/07/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2009	625	2017	2,050
2010	8,487	2018	13,200
2011	658	2019	5,900
2012	9,820	2020	5,520
2013	5,355	2021	2,000
2014–16	निरंक	2022 (मार्च तक)	1,000

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarentee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State

Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुमरडीहकला का दिनांक 12/12/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान (विथ इन्वायरोमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 843/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2634/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 10.65 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 32 खदानें है। इस संबंध में समिति का मत है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2634/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज श्री शंकर ज्ञानचंदानी के नाम पर थी, जिसकी अवधि 05 वर्ष (दिनांक 28/05/2008 से 27/05/2013) तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/05/2013 से 27/05/2038 तक की अवधि हेतु निष्पादित की गई है। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के पृ. ज्ञापन क्रमांक/471/ख.लि. 02/2017 राजनांदगांव, दिनांक 01/03/2017 को लीज का हस्तांतरण श्री पवन वाधवा के नाम पर किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10–2/2019/13139 राजनांदगांव, दिनांक 23/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ढाबा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–डुमरडीह 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। तालाब ग्राम–ढाबा 1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,89,300 टन (75,720 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 75,082 टन (30,033 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 28,101 टन (11,240 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,944 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,000 घनमीटर था। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी उपलब्ध नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	6,000
चतुर्थ	6,000
पंचम	6,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 636 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान की बाउण्ड्री में (636 नग) वृक्षारोपण	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	48,336	4,864	4,864	4,864	4,864
	फेंसिंग हेतु राशि	79,100	–	–	–	–

हेतु	खाद हेतु राशि	4,770	480	480	480	480
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,36,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 12,53,582		3,68,206	2,21,344	2,21,344	2,21,344	2,21,344

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,944 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 94.5 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 780 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, उत्तर दिशा में 60 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक तथा दक्षिण दिशा में 231 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित मॉडिफाईड क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 1,39,000/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2022 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 1,39,000/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 12 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 12 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	21.39	40.45	60

PM_{10}	42.65	55.33	100
SO_2	5.09	9.87	80
NO_2	9.48	15.95	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	43.2	61.1	75
Night L_{eq}	37.9	54.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 73 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.06 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.07 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 17/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–कुमरदीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 32 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 17 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे डाल दिया जाता है एवं 7 एकड़ भूमि पर मिट्टी डाल दिया गया है। गांव में मवेशियों के लिये चारा नहीं बचता है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरार आ जाती है। ब्लास्टिंग के समय खेतों में चलना दुर्भर होता है, ब्लास्टिंग करने के दौरान सड़क बंद कर दिया जाता है।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों को जरूरत की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। क्रेशर सड़क से लगा हुआ है, उसके चलने के कारण कई एक्सीडेंट हो चुके है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

iv. गांव के पास शासकीय भूमि का अवैध रूप से उत्खनन किया जाता है। वृक्षारोपण तथा जल छिड़काव का कार्य भी नहीं किया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे नहीं डाला जाएगा, उसे खदान के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हूटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को कम नुकसान या परेशानी नहीं होगी।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

iv. माईनिंग प्लान के अनुसार ही उत्खनन कार्य किया जाएगा। खदान के बाउण्ड्री तथा हॉल रोड में वृक्षारोपण का कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा। वृक्षारोपण एवं धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए सड़क पर दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 32 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 8 कि.मी.		3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (3,333 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	4,05,308	40,508	40,508	40,508	40,508
	फेंसिंग हेतु राशि	42,66,400	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	39,990	3,990	3,990	3,990	3,990

	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	20,28,000	17,28,000	17,28,000	17,28,000	17,28,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000
हेल्थ चेकअप कैम्प		1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
कुल राशि = 1,81,29,690		**75,99,698**	**26,32,498**	**26,32,498**	**26,32,498**	**26,32,498**

कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 242 मीटर, सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु एवं हेल्थ चेकअप कैम्प		20,625.5	20,625.5	20,626.5	20,625.5	20,625.5
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (81 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	6,156	608	608	608	608
	फेंसिंग हेतु राशि	64,800	6,400	6,400	6,400	6,400
	खाद हेतु राशि	600	60	60	60	60
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	20,690.4	12,679.3	12,679.3	12,679.3	12,679.3
कुल राशि = 2,74,363.1		**1,12,871.9**	**40,372.8**	**40,372.8**	**40,372.8**	**40,372.8**

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन से पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल

नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से समुचित कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at nearby, **Village-Dumardihkala**	
			Pavitra Van Nirman	12.31
			Total	**12.31**

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 183 नग पौधों के लिए राशि 12,180 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 32,700 रूपये, खाद के लिए राशि 1,200 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,16,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,62,080 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,89,344 रूपये हेतु चरणवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत डुमरडीहकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 446, क्षेत्रफल 1.687 हेक्टेयर में से 0.1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

25. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जावे जिससे कि खदान का प्रश्नाधीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।

5. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी नवीन प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

9. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

10. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।

11. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किये जाने के संबंध परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि हमारे द्वारा अवैध उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। उत्खनन का कार्य खनिज विभाग से अनुमति तथा रॉयल्टी जमा करके ही खनन कार्य किया गया है तथा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। इस कारण से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना नहीं की गई है। माईनिंग प्लान को अनुमोदित कराने के समय क्षतिपूर्ति की राशि बाउंड्री उत्खनन का जमा किया गया था। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 1,39,000/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2022 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 1,39,000/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1380/खा.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 05/07/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 38.29 हेक्टेयर है।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्टीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्टीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

9. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्टीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि की वास्तविक गणना करने हेतु जुलाई 2020 से अब तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रभावहीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।
5. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी), ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1081बी)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43985/2017, दिनांक 27/12/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43985/2017, दिनांक 19/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.298 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता–26,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2020 द्वारा प्रकरण 'बी2' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तद्नुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 406वीं बैठक दिनांक 09/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शंकर ज्ञानचंदानी, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सोल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्रीमती पूनम मंडलम एवं श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2020 द्वारा मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर–श्री प्रशांत बोहरा) के नाम पर टी.ओ.आर. जारी किया गया है। वर्तमान में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज का हस्तांतरण मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर किये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1696/ख.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/07/2020 द्वारा उत्खनिपट्टा के अंतरण अनुज्ञा बाबत् पत्र जारी किया गया है।

   साथ ही संयुक्त–संचालक (प्र.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3602/खनि 02/मा.प्ला.अनुमोदन/न.क्र. 06/2018(2) नवा रायपुर, दिनांक 05/07/2021 द्वारा माडिफाईड क्वारी प्लान (क्लोजर कम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान) को भी **मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो. – श्री शंकर ज्ञानचंदानी)** के नाम पर जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु समिति के समक्ष अनुरोध किया गया।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि फाईनल ई.आई. ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सोल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सोल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सोल्युशन का होना बताया गया।

3. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 471, 472 एवं 473/2(भाग), कुल क्षेत्रफल–1.295 हेक्टेयर, क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 261/खनि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (घनमीटर)
2007	–	2014	1,525
2008	555	2015	10,177
2009	516	2016	20,246
2010	276	2017	8,324
2011	3,715	2018	19,895
2012	662	2019	12,249
2013	1,702		

4. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्देवपुर का दिनांक 07/09/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, विथ क्वारी क्लोजर प्लान एवं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/टीम–6/खनि./2016/534 रायपुर, दिनांक 01/03/2016 द्वारा (मेसर्स महावीर कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर–श्री प्रशांत बोहरा) के नाम पर) अनुमोदित है। तत्पश्चात् मॉडिफाईड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (खप्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3802/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 06/07/2021 द्वारा (मेसर्स बोलबम मिनरल्स (प्रो.– श्री शंकर ज्ञानचंदानी) के नाम पर) अनुमोदित है।

6. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2768/खनि.03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 4.018 हेक्टेयर है।

7. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2768/खनि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 31/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे एवं अन्य कोई

मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

8. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। पूर्व में लीज श्री प्रशांत बोहरा के नाम पर थी। तत्पश्चात् लीज का हस्तांतरण दिनांक 31/07/2020 को श्री शंकरलाल झामनदासानी के नाम पर किया गया है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/12/2007 से 14/12/2012 तक की अवधि हेतु किया थी। लीज का नवीनीकरण 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 15/12/2012 से 14/12/2017 तक की अवधि हेतु की गई थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 15/12/2017 से 23/12/2035 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

9. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./4230 खैरागढ़, दिनांक 13/09/2007 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कलकसा 660 मीटर एवं अस्पताल बल्देवपुर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। तालाब 2.2 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 9,71,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,23,137 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,20,682 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,768 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,000 घनमीटर है, इस ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,500	षष्टम	12,500
द्वितीय	12,500	सप्तम	12,500
तृतीय	12,500	अष्टम	12,500
चतुर्थ	12,500	नवम	12,500
पंचम	12,500	दशम	12,500

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 950 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 19,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,17,400 रूपये, खाद के लिए राशि 7,140 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,13,200 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,56,740 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 6,88,960 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु पटवकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,768 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 243 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 247.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिण दिशा में 645 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII.(i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_x$ का सान्द्रण लेवल**–

Concentration level (µg/m^3) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	26.10	44.77	60
PM_{10}	47.22	67.15	100

SO_2	9.03	14.68	80
NO_2	11.31	20.33	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. की Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.89	54.67	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 9 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 57 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बेयरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.01 to 0.2) के भीतर है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव के प्रांगण में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान में ब्लास्टिंग से पत्थर दूर खेतों में जाकर गिरते हैं एवं मकानों में दरार आ चुका है। हैवी ब्लास्टिंग होने से पास के स्कूल में सूचना देने के लिए छुट्टी आते हैं एवं नजदीक स्थित क्रशर को बंद किया जाना चाहिए।

ii. खदान अत्यधिक गहरा हो चुका है। गर्मी के दिनों में 5–7 जानवर गिर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही लीज क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग किया जाना चाहिए।

iii. गांव कलकसा से बलदेवपुर जाने वाली सड़क बहुत जर्जर हो चुकी है, जिससे बच्चों को स्कूल आने–जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. अनुभवी कॉन्ट्रेक्टर की निगरानी में कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा।

ii. खदान के चारों ओर कंटीले तारों से फेंसिंग किया जाएगा, जिससे गांव के मवेशी खदान के अंदर नहीं जा पायेंगे।

iii. खदान से निकलने वाले वाहनों के कारण जो सड़क में गड्ढे हो गये है, उसकी समय–समय में मरम्मत की जाएगी।

iv. शिक्षित बेरोजगारों की योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 8 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	49,340	4,940	4,940	4,940	4,940
	फेंसिंग हेतु राशि	34,76,700	—	—	—	—
	खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	5,94,072	3,41,812	3,41,812	3,41,812	3,41,812
कुल राशि		**41,20,112**	**3,46,752**	**3,46,752**	**3,46,752**	**3,46,752**

कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
300 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (200 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	4,000	400	400	400	400
	फेंसिंग हेतु राशि	2,96,000	—	—	—	—
	खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	2,02,700	1,68,470	1,68,470	1,68,470	1,68,470
कुल राशि		**5,02,700**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**	**1,68,870**

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at nearby, **Village-Kalkasa**	
			Pavitra Van	10.78
			Total	**10.78**

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 980 नग पौधों के लिए राशि 19,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 67,500 रूपये, खाद के लिए राशि 7,350 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,41,680 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,36,130 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,89,112 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बल्देवपुर के सहमति उपरांत प्रस्तावित स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 1.22 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओ.आर. हेतु किये गये आवेदन के साथ प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 10 मीटर की गहराई तक उत्खनन करते हुए वर्षवार उत्खनन के विवरण में क्रमशः – 28,000 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत मॉडिफाईड माईनिंग प्लान में 30 मीटर की गहराई तक उत्खनन करते हुए वर्षवार उत्खनन के विवरण में क्रमशः – 12,900 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख होना पाया गया है। उक्त कारणों से रिजर्व की गणना में भिन्नता परिलक्षित हो रही है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

26. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन दिनांक 29/01/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन के विवरण की जानकारी में वर्षवार उत्खनन का इकाई घनमीटर में है, जबकि पर्यावरणीय

स्वीकृति में क्षमता 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी किया गया है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रिजर्व की गणना में भिन्नता परिलक्षित होने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति तक उत्खनित खनिज की मात्रा खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(4) समिति की 417वीं बैठक दिनांक 25/07/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान दिनांक 05/07/2021 अनुसार चूना पत्थर उत्खनन क्षमता अधिकतम 12,500 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में चूना पत्थर उत्खनन क्षमता 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि चूना पत्थर उत्खनन क्षमता अधिकतम 12,500 टन प्रतिवर्ष हेतु ही विचार किया जाएगा।
2. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 261/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 29/01/2020 द्वारा उत्पादन आंकड़ों की जानकारी में टन के स्थान पर घनमीटर का उल्लेख हो गया था। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1340/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/06/2022 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)	वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2007–08	30	2015–16	14,279
2008–09	841	2016–17	14,489
2009–10	288	2017–18	6,324
2010–11	2,768	2018–19	19,895
2011–12	1,387	2019–20	10,599
2012–13	1,436	2020–21	3,200
2013–14	1,720	2021–22	6,230
2014–15	2,020		

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 28/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   d) Damage Assessment
   e) Remedial Plan and
   f) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

6. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों को करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करवाकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

9. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।

10. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये

जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 426वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किये जाने के संबंध परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि हमारे द्वारा अवैध उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। उत्खनन का कार्य खनिज विभाग से अनुमति तथा रॉयल्टी जमा करके ही खनन कार्य किया गया है तथा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। इस कारण से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना नहीं की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/08/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को

शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।
8. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि की वास्तविक गणना करने हेतु जुलाई 2020 से अब तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलविमुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION IN EXISTING DRI KILN (SPONGE IRON) OF CAPACITY (1X50 TPD) - 15,000 TONNES / YEAR TO 16,500 TONNES / YEAR, NEW DRI KILN (SPONGE IRON) OF CAPACITY (1X125 TPD) - 41,250 TONNES / YEAR (TOTAL CAPACITY - 57,750 TPA) OF M/S HANUMANT ALLOYS (INDIA) PVT LTD

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R. 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. In existing Sponge Iron (1X50TPD) pollution control arrangement water scrubber shall be replaced by ESP. The proposed Sponge Iron (1X50TPD) pollution control arrangement ESP shall be installed adequate capacity and high efficiency. Height of the chimney for both stack shall not be less than 70 meter to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall install lime dosing unit before the stack inlet to control the sulphur dioxide emission. Project proponent shall install dust extraction system with bag filters in vibrating screen, feeding point, coal handling plants and coal transfer points. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered through GI sheets. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay, otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	30 mg/Nm³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. Project proponent shall install continuous emission monitoring system in the stack and connected with the CPCB/SPCB server.

vi. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vii. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

viii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

ix. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

x. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

xi. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xii. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron, Ferro Alloys etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system). The ETP shall have acid proof lining to avoid any chance of under ground water contamination. Sludge generated from effluent treatment plant shall be transferred to sludge drying beds and disposed off as per the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time. MBBR based sewage treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Ash generated from DRI unit shall be given to brick manufacturer. Dolochar generated from DRI unit shall be given to power generation unit. Kiln accretion slag and Wet scrapper sludge shall be used in road/civil construction within the premises and extra slag and sludge will be given to road contruction contractor. Tar and Oily sludge shall be given to coal tar recyclers / agencies engaged in construction activities/given to nearby Pellet plant units.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 34.8% (3.25 Acre) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health Issues

i. The project proponent shall strictly follow the timeframe so as to closer comply the issue the raised during Public Hearing.

ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
1100	1%	11	Following activities at, **Village-Handikala**	
			Pavitra Van Nirman	12.95
			Total	**12.95**

Development of "Pavitra-van Nirman" at gram panchayat in **Village-handikala (Tosa)**, khasra no. 21/5A, area 2.5 Acre as dense and religious plantation. Estimate cost of this plantation is around **Rs. 12.95 Lakhs.**

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools and concerned gram Panchayat.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Additional Conditions

i. Project proponent shall ensure that what ever phenolic water be generated shall be immediately incinerated in own gasifier. Project proponent shall ensure the no phenolic water shallbe discharged outside the premises under any circumstances. Project proponent shall also follow the guidelines of SOP issued by CPCB in this matter and shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.

ii. Project proponent shall ensure that as per the Wildlife conservation plan mentioning the budget in the 2nd and 3rd year will allocate the similar budget in the 4th and 5th year. Project proponent shall not disturb the forest landscape of the vicinity. The amount shall be deposited in the State CAMPA Fund.

iii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

iv. Project proponent shall prepare Wildlife conservation plan and get its approval from concerned Authorities for every 5 years for entire life of the unit. The amount shall be deposited in the State CAMPA Fund.

v. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

vi. No additional land shall be acquired for this project.

vii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

viii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

ix. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

x. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

xi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xiii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiv. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xvi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xix. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xx. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xxi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxiii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

परिशिष्ट–02

<u>मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री परेश कुमार) की पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक–294, कुल लीज क्षेत्र 1.214 हेक्टेयर, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें</u>

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.214 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 20,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तथा पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए है, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

2 की ओर

8. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट स्रोतों से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च क्षमता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

14. उत्खनन करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 6,720 घनमीटर है, जिसमें से 3,100 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 3,620 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 525/5, रकबा 1.1315 हेक्टेयर) में भंडारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्भराव के लिए किया जाए।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हांकित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया

जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

19. खनिज का परिवहन ढ़काई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.45	2%	1.0	Following activities at nearby, **Village-Kalkasa**	
			Pavitra Van Nirman	10.14
			Total	**10.14**

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 16,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,66,100 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,72,800 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,60,900 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,53,920 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कल्केसपुर की सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 0.46 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 775 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण (कुल 1,075 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

28. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

33. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के ऊपर अनुपूरक प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन्स एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त विनिर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.